मास्टर
परिपत्र

मास्टर परिपत्र - अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई

जुलाई 2008

मास्टर परिपत्र - अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड (आइआरएसी)

विषय-सूची

पैरा नं.			ब्योरे
1.			**सामान्य**
2.			**परिभाषाएं**
	2.1		अनर्जक आस्तियां
	2.2		'अनियमित' दर्जा
	2.3		'अतिदेय'
3.			**आय - निर्धारण**
	3.1		आय-निर्धारण - नीति
	3.2		आय का प्रतिवर्तन
	3.3		अनर्जक आस्तियों की वसूली का विनियोजन
	3.4		ब्याज लगाना
	3.5		अनर्जक आस्तियों के स्तर की गणना
4.			**आस्ति वर्गीकरण**
	4.1		अनर्जक आस्तियों की श्रेणियां
		4.1.1	अवमानक आस्तियां
		4.1.2	संदिग्ध आस्तियां
		4.1.3	हानिवाली आस्तियां
	4.2		आस्तियों के वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश
		4.2.3	जमानत की उपलब्धता /उधारकर्ता /गारंटीकर्ता की निवल मालियत
		4.2.4	अस्थायी कमियों वाले खाते
		4.2.5	ऋणों को पुनर्व्यवस्थित/पुनर्निर्धारित करना
		4.2.6	तुलन पत्र की तारीख के निकट नियमित किये गये खाते
		4.2.7	आस्ति वर्गीकरण ऋणकर्तावार हो न कि सुविधावार हो
		4.2.8	सहायता संघीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अग्रिम
		4.2.9	ऐसे खाते जहां प्रतिभूति के मूल्य में ह्रास हुआ है
		4.2.10	वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों को दिये गये अग्रिम
		4.2.11	मीयादी जमाराशियों, एनएससी, केवीपी/आइवीपी आदि की जमानत पर अग्रिम
		4.2.12	ब्याज के भुगतान के लिए स्थगन वाले ऋण
		4.2.13	कृषि अग्रिम
		4.2.14	सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम
		4.2.15	ऋणों को पुनर्व्यवस्थित/पुनर्निर्धारित करना
		4.2.16	कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन (सीडीआर) प्रणाली संबंधी संशोधित दिशानिर्देश

		4.2.17	छोटे तथा मझौले उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण - पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली
		4.2.18	कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं
		4.2.19	टेक-आउट वित्त
		4.2.20	पोतलदान के बाद आपूर्तिकर्ता का ऋण
		4.2.21	निर्यात परियोजना वित्त
		4.2.22	बीआइएफआर /टीएलआइ द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अधीन अग्रिम
5.			**प्रावधान संबंधी मानदंड**
	5.1		सामान्य
	5.2		हानि वाली आस्तियां
	5.3		संदिग्ध आस्तियां
	5.4		अवमानक आस्तियां
	5.5		मानक आस्तियां
	5.6		अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधानों के उपयोग तथा निर्माण पर विवेकपूर्ण मानदंड
	5.7		पट्टे की आस्तियों पर प्रावधान
	5.8		विशेष परिस्थितियों में प्रावधानों के लिए दिशानिर्देश
6			**प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्रचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री संबंधी दिशानिर्देश**
	6.1		व्याप्ति
	6.2		स्वरूप
	6.3		बेचने योग्य वित्तीय आस्तियां
	6.4		बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों के मूल्यांकन तथा कीमत निर्धारण पहलू सहित एससी/आरसी को बिक्री की क्रियाविधि
	6.5		बिक्री लेनदेन के संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
	6.6		प्रकटीकरण अपेक्षाएं
	6.7		संबंधित मामले
7			**अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद/बिक्री पर दिशानिर्देश**
	7.1		व्याप्ति
	7.4		ढांचा
	7.5		मूल्यन और कीमत निर्धारण संबंधी पहलुओं सहित अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद/बिक्री के लिए क्रियाविधि
	7.6		खरीद/बिक्री लेनदेन हेतु बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
	7.7		प्रकटन अपेक्षाएं
8			**अनर्जक आस्तियों को बट्टे खाते डालना**
अनुबंध - 1			संबंधित प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की सूची
अनुबंध - 2			मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

मास्टर परिपत्र - अग्रिमों के संबंध में आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड

1. सामान्य

1.1 अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप तथा वित्तीय प्रणाली से संबंधित समिति (अध्यक्ष श्री एम. नरसिंहम) द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने चरणबद्ध रूप में बैंकों के अग्रिम संविभाग के लिए आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधान करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किये हैं, ताकि प्रकाशित खातों में अधिक सामंजस्य और पारदर्शिता की दिशा में बढ़ा जा सके ।

1.2 आय-निर्धारण की नीति वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और वह वसूली के रिकॉर्ड पर आधारित होनी चाहिए, न कि व्यक्तिनिष्ठ बातों पर । इसी प्रकार, बैंकों की आस्तियों का वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर किया जाना चाहिए, जो मानदंडों को एकसमान और सामंजस्यपूर्ण ढंग से लागू करना सुनिश्चित करेगा। साथ ही, आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर प्रावधान किया जाना चाहिए, जो आस्तियों के अनर्जक बने रहने की अवधि और जमानत की उपलब्धता तथा उसके मूल्य की वसूली योग्यता पर आधारित हो ।

1.3 बैंकों से अनुरोध है कि ऋण और अग्रिम मंजूर करते समय उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाह /तरलता पर आधारित वास्तविक चुकौती की अनुसूची तय कर ली जाए। इससे उधारकर्ताओं को समय पर चुकौती करने में सुविधा होगी तथा अग्रिमों के वसूली रिकार्ड में सुधार होगा ।

1.4 विवेकपूर्ण मानदंड लागू किये जाने से अग्रिमों के वर्गीकरण के लिए स्थिति-कूट आधारित प्रणाली पर्यवेक्षी महत्व का विषय नहीं रही है । इस प्रकार हेल्थ कोड प्रणाली के अधीन सभी संबंधित सूचना देने से संबंधित अपेक्षाएं आदि भी पर्यवेक्षी अपेक्षा नहीं रही हैं। तथापि बैंक अपने विवेकानुसार प्रबंध सूचना साधन के रूप में उक्त प्रणाली को जारी रख सकते हैं।

2. परिभाषाएं

2.1 अनर्जक आस्तियां

2.1.1 कोई आस्ति, जिसमें पट्टेवाली आस्ति शामिल है, तब अनर्जक बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है।

2.1.2 अनर्जक आस्ति (एनपीए) वह ऋण या अग्रिम होगा जहां -

i. ब्याज और / या मूलधन की किस्त मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है,

ii. ओवरड्राफ्ट /नकदी ऋण के संदर्भ में खाता नीचे पैराग्राफ 2.2 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार 'अनियमित' बना रहता है,

iii. खरीदे और भुनाये गये बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बना रहता है,

iv. अल्पावधि फसलों के लिए दो फसली मौसमों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज अतिदेय हो।

v. दीर्घावधि फसलों के लिए एक फसल के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज अतिदेय हो।

vi. 1 फरवरी 2006 को जारी किए गए प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए बकाया रहे तो ।

2.1.3 बैंक किसी खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के तौर पर तभी वर्गीकृत करें जब किसी भी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के भीतर पूरी तरह नहीं चुकाया जाता ।

2.2 '**अनियमित**' दर्जा

किसी खाते को तब '**अनियमित**' माना जाये जब बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहती है । उन मामलों में जहां प्रधान परि ाालन खाते में बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से कम है, परंतु तुलनपत्र की तारीख को लगातार 90 दिन के लिए कोई जमा नहीं है अथवा उसी अवधि में नामे डाले गये ब्याज को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जमा नहीं है, वहाँ इन खातों को '**अनियमित**' माना जाए ।

2.3 '**अतिदेय**'

किसी भी ऋण सुविधा के अधीन बैंक को देय कोई राशि 'अतिदेय' तब है यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित तारीख को अदा नहीं की जाती है ।

3. आय-निर्धारण

3.1 आय-निर्धारण - नीति

3.1.1 आय-निर्धारण की नीति वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और वह वसूली रिकॉर्ड पर आधारित होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय रूप से अनर्जक आस्तियों से होने वाली आय को प्रोद्भूत आधार पर मान्य नहीं

किया जाता, बल्कि आय के रूप में केवल तभी माना जाता है जब वह वास्तव में प्राप्त होती है । अतः बैंकों को किसी अनर्जक आस्ति पर ब्याज वसूल नहीं करना चाहिए और उसे आय खाते में नहीं लेना चाहिए ।

3.1.2 तथापि, मीयादी जमाराशियों, एनएससी, आइवीपी, केवीपी तथा जीवन पॉलिसियों की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज को देय तारीख को आय खाते में लेना चाहिए, बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो ।

3.1.3 बकाया ऋणों के संबंध में पुनः बातचीत अथवा पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा अर्जित शुल्कों और कमीशनों को ऋण की पुनः बातचीत की गयी या पुनर्निर्धारित सीमा तक व्याप्त अवधि के लिए उपचय के आधार पर मान्यता दी जाये ।

3.1.4 यदि सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम अनर्जक आस्ति बन जाते हैं, तो ऐसे अग्रिमों पर ब्याज को तब तक आय खाते में **नहीं** लेना चाहिए जब तक कि ब्याज वसूल नहीं हो जाता ।

3.2 आय का प्रतिवर्तन

3.2.1 यदि कोई अग्रिम जिसमें खरीदे तथा भुनाए गए बिल शामिल हैं, किसी वर्ष के अंत में अनर्जक आस्ति बनता है तो पिछली अवधियों में आय खाते में जमा किए गए संपूर्ण उपचित ब्याज को प्रत्यावर्तित किया जाए अथवा यदि वह प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके लिए प्रावधान रखा जाए । **यह सरकार द्वारा गारंटीप्राप्त खातों पर भी लागू होगा ।**

3.2.2 अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में, शुल्क, कमीशन और इसी प्रकार की प्रोद्भूत होने वाली आय वर्तमान अवधि में प्रोद्भूत होना बंद हो जानी चाहिए और यदि वह वसूल न की गयी हो तो पिछली अवधियों के संबंध में प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए या उनके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए ।

3.2.3 पट्टेवाली आस्तियां

पट्टेवाली आस्ति पर, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की कौन्सिल द्वारा जारी 'एएस 19 - पट्टा' में यथापरिभाषित वित्त आय का *वित्त प्रभार* घटक, जो प्रोद्भूत हुआ है और आय खाते में, आस्ति के अनर्जक बनने के पहले जमा किया गया था तथा जो बिना वसूली के बना रहा हो, उसे प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए या चालू लेखांकन अवधि में उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए ।

3.3 अनर्जक आस्तियों की वसूली का विनियोग

3.3.1 अनर्जक आस्तियों पर वसूल ब्याज को आय खाते में लिया जाये, बशर्ते ब्याज हेतु खातों में जमा राशि संबंधित ऋणकर्ता को मंजूर नयी / अतिरिक्त ऋण सुविधाओं में से न हो ।

3.3.2 अनर्जक आस्तियों (अर्थात् देय मूलधन या ब्याज) में वसूली के विनियोग के प्रयोजन के लिए बैंक और ऋणकर्ता के बीच स्पष्ट करार न होने से, बैंकों को कोई भी लेखांकन सिद्धांत अपनाना चाहिए तथा वसूलियों के विनियोग के अधिकार का एकसमान और सुसंगत रूप में प्रयोग करना चाहिए ।

3.4 ब्याज लगाना

बैंकों द्वारा किसी अनर्जक खाते में ब्याज नामे डालने के लिए अपना विवेक इस्तेमाल किये जाने तथा उसे ब्याज उचंत खाते में लेने या प्रोफार्मा खाते में ऐसे ब्याज का केवल रिकार्ड रखने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

3.5 अनर्जक आस्तियों के स्तर की गणना

निवल अग्रिम तथा निवल अनर्जक आस्तियों को प्राप्त करने के लिए बैंकों को क्रमशः सकल अग्रिम तथा सकल अनर्जक आस्तियों में से निम्नलिखित मदों को घटाना होगा :

i) ब्याज उचंत खाते में शेष
ii) प्राप्त तथा समायोजन होने तक धारित डीआइसीजीसी/ईसीजीसी दावे
iii) प्राप्त तथा उचंत खाते में रखे आंशिक भुगतान
iv) कुल धारित प्रावधान (इसमें तकनीकी राइट ऑफ की राशि तथां मानक आस्तियों पर प्रावधान को शामिल न करें)

इस प्रयोजन के लिए सकल अग्रिमों की राशि में तकनीकी राइट ऑफ को शामिल नहीं किया जाएगा लेकिन सभी बकाया ऋणों तथा अग्रिमों को शामिल किया जाएगा; इसमें वे अग्रिम शामिल होंगे जिनके लिए पुनर्वित्त लिया गया लेकिन पुनर्भुनाए गए बिलों की राशि को छोड़ दिया जाएगा । उपर्युक्त के अनुसार अभिकलित सकल तथा निवल अनर्जक आस्तियों की राशि को क्रमशः सकल तथा निवल अग्रिमों द्वारा विभाजित करके प्रतिशत आधार पर सकल तथा निवल अनर्जक आस्तियों का स्तर प्राप्त होगा ।

4. आस्ति वर्गीकरण

4.1 अनर्जक आस्तियों की श्रेणियां

बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे अनर्जक आस्तियों को, ि ास अवधि के लिए आस्ति अनर्जक बनी रहती है तथा देय राशि की वसूली योग्यता के आधार पर और आगे निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करें:

i. **अवमानक आस्तियाँ**
ii. **संदिग्ध आस्तियाँ और**
iii. **हानिवाली आस्तियाँ**

4.1.1 अवमानक आस्तियाँ

31 मार्च 2005 से अवमानक आस्ति वह आस्ति होगी जो 12 महीने अथवा उससे कम अवधि के लिए अनर्जक आस्ति बनी रही है। इस प्रकार के मामलों में ऋणकर्ता / गारंटीकर्ता की चालू शुद्ध संपत्ति

(नेटवर्थ) अथवा भारित जमानत का चालू बाजार मूल्य बैंकों को देय राशियों की पूरी वसूली सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की आस्ति में भली-भांति परिभाषित ऋण की वह कमजोरी होगी जो ऋण का परिसमापन बाधित करेगी और जिसमें कुछ ऐसी स्पष्ट संभावना निहित है कि यदि इन कमियों को ठीक नहीं किया गया तो बैंकों को कुछ हानि होगी।

4.1.2 संदिग्ध आस्तियां

31 मार्च 2005 से वह आस्ति संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत होगी जो 12 महीनों की अवधि के लिए अनर्जक बनी रही है । संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किये गये ऋण में वे सभी कमजोरियाँ निहित हैं जो अवमानक आस्ति में हैं और साथ ही यह विशेषता भी जोड़ी जाती है कि उक्त कमजोरियों के कारण वर्तमान में ज्ञात तथ्यों, शर्तों और मूल्यों के आधार पर उनकी पूर्ण उगाही अथवा परिसमापन अत्यधिक शंकास्पद और असंभाव्य हो जाता है ।

4.1.3 हानिवाली आस्तियां

घाटे की आस्ति वह है जहां बैंक अथवा आंतरिक अथवा बाह्य लेखा-परीक्षकों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण द्वारा घाटे को पहचाना गया है किंतु उस राशि को पूर्णतः बट्टे खाते नहीं डाला गया है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की आस्ति वसूली योग्य नहीं मानी जाती और इस प्रकार की आस्ति विश्वसनीय आस्ति के रूप में जारी रखना आवश्यक नहीं होता, हालांकि उसके कुछ बचाव या वसूली मूल्य की प्राप्ति हो सकती है।

4.2 आस्तियों के वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश

4.2.1 मोटे तौर पर कहा जाये तो, उपर्युक्त श्रेणियों में आस्तियों का वर्गीकरण सुस्पष्ट ऋण कमजोरियों की मात्रा और देय राशियों की वसूली के लिए संपार्श्विक जमानत पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए ।

4.2.2 बैंकों को विशेष तौर पर अधिक मूल्य वाले खातों के संबंध में अनर्जक आस्तियों की पहचान में देरी करने अथवा स्थगित करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए उपयुक्त आंतरिक प्रणालियां तैयार करनी चाहिए। बैंकों को अपने संबंधित कारोबारी स्तरों पर निर्भर रहते हुए किन खातों को अधिक मूल्य वाले खाते की श्रेणी में रखा जायेगा, इसका निर्णय करने के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित करनी चाहिए। यह न्यूनतम सीमा पूरे लेखा वर्ष के लिए वैध होनी चाहिए। उचित आस्ति वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी और वैध स्तर बैंकों द्वारा तय किये जाने चाहिए। प्रणाली द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार जिस तारीख को खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाये उस तारीख से एक महीने में आस्ति-वर्गीकरण संबंधी किसी भी तरह के संदेह को विनिर्दिष्ट आंतरिक माध्यम से दूर कर लिया जाये ।

4.2.3 जमानत की उपलब्धता /उधारकर्ता /गारंटीदाता की निवल मालियत

किसी अग्रिम को अनर्जक अग्रिम अथवा अन्यथा समझने के प्रयोजन के लिए जमानत की उपलब्धता /उधारकर्ता/गारंटीदाता की निवल मालियत को केवल पैरा 4.2.9 में प्रावधानित सीमा तक ध्यान में लिया जाना चाहिए क्योंकि आय-निर्धारण वसूली के रिकॉर्ड पर आधारित होता है ।

4.2.4 अस्थायी कमियों वाले खाते

किसी आस्ति का अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को किसी अग्रिम खाते को केवल इस कारण से अनर्जक खाते के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए कि उसमें कुछ कमियां विद्यमान हैं, जो अस्थायी स्वरूप की है, जैसे अद्यतन उपलब्ध स्टॉक विवरण पर आधारित पर्याप्त आहरण शक्ति की अनुपलब्धता, बकाया जमा शेष अस्थायी रूप से सीमा से अधिक होना, स्टॉक विवरण प्रस्तुत न करना तथा देय तारीखों को सीमाओं को नवीकृत न करना, आदि। इस प्रकार की कमियों वाले खातों के वर्गीकरण के मामले में बैंक निम्नलिखित दिशा-निर्देश अपना सकते हैं :

i) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में किये गये आहरणों के लिए पर्याप्त चालू आस्तियां रखी गयी हों, क्योंकि संकट के समय पहले चालू आस्तियों का विनियोजन किया जाता है। आहरणाधिकार वर्तमान स्टॉक विवरण के आधार पर प्राप्त किया जाना आवश्यक है। तथापि, बड़े ऋणकर्ताओं की व्यावहारिक कठिनाइयों पर विचार करते हुए आहरणाधिकार निश्चित करने के लिए बैंक जिन स्टॉक विवरणों पर निर्भर रहते हैं वे तीन माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। तीन माह से अधिक पुराने स्टॉक विवरणों से परिकलित आहरणाधिकार पर आधारित खाते की बकाया राशियों को अनियमित माना जायेगा।

यदि खातों में ऐसे अनियमित आहरणों की अनुमति लगातार 90 दिनों के लिए दी जाए तो कार्यशील पूंजी ऋण खाता अनर्जक हो जायेगा, भले ही यूनिट कार्य कर रही हो अथवा ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो ।

ii) नियत तारीख /तदर्थ स्वीकृति की तारीख से तीन महीने तक नियमित और तदर्थ ऋण सीमाओं की पुनरीक्षा कर ली जानी चाहिए /उन्हें नियमित कर लिया जाना चाहिए। ऋणकर्ताओं से वित्तीय विवरण और अन्य आंकड़े उपलब्ध न होने जैसे अवरोधों की स्थिति में शाखा को इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए कि ऋण सीमाओं का नवीकरण /उसकी समीक्षा पहले से चल रही है और वह शीघ्र पूरी हो जायेगी। किसी भी स्थिति में, एक सामान्य अनुशासन के रूप में छः माह से अधिक की देरी को वांछनीय नहीं माना जाता है। अतः नियत तारीख /तदर्थ स्वीकृति की तारीख से 180 दिन में जिन खातों में नियमित /तदर्थ ऋण सीमाओं की पुनरीक्षा /उनका नवीकरण न कर लिया गया हो उन्हें अनर्जक माना जायेगा ।

4.2.5 ऋणों को पुनर्व्यवस्थित/पुनर्निर्धारित करना

अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के संबंध में ऋणकर्ता द्वारा ब्याज की बकाया राशि और मूलधन को चुकाने पर उन ऋण खातों को अनर्जक खातों के रूप नहीं माना जाना चाहिए और उन्हें 'मानक' खातों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। पुन: भुगतान अनुसूची बनाए गए /पुनर्निर्धारित खाते, जो अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत हैं, के श्रेणी उन्नयन के संबंध में पैरा 4.2.14 तथा 4.2.15 की विषय-वस्तु लागू होगी।

4.2.6 तुलनपत्र की तारीख के निकट नियमित किये गये खाते

जिन ऋण खातों में तुलनपत्र की तारीख से पूर्व एक-दो बार राशियां जमा की गयी हों, उनका आस्ति-वर्गीकरण सावधानीपूर्वक और व्यक्तिपरकता की गुंजाइश के बिना किया जाना चाहिए। जहां खाता उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अंतर्निहित कमजोरियों का संकेत दे रहा हो, वहां खाते को अनर्जक माना जाना चाहिए। अन्य वास्तविक मामलों में, बैंकों को उनके कार्यनिष्पादन की स्थिति के बारे में संदेह को समाप्त करने के लिए खाते को नियमित करने के ढंग के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों /निरीक्षण अधिकारियों के समक्ष संतोषजनक साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए।

4.2.7 आस्ति वर्गीकरण ऋणकर्ता-वार हो न कि सुविधा-वार हो

i) उस स्थिति की अभिकल्पना करना कठिन है ि जसमें केवल कोई एक सुविधा/उक्त उधारकर्ता द्वारा जारी किसी प्रतिभूति में एक निवेश समस्यापूर्ण हो जाता है, अन्य नहीं। अतः किसी बैंक द्वारा किसी ऋणकर्ता को दी गयी सभी सुविधाएं तथा उस ऋणकर्ता द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों में किए निवेश को अनर्जक आस्ति/निष्क्रिय निवेश के रूप में माना जायेगा, न कि कोई सुविधा विशेष/निवेश अथवा उसका कोई अंश, जो अनियमित हो गया हो ।

ii) यदि साखपत्र विकसित करने या गारंटियां लागू करने के फलस्वरूप उत्पन्न नामे राशियों को अलग खाते में रखा जाता है, तो उस खाते में शेष बकाया राशि को भी आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने के प्रयोजन के लिए ऋणकर्ता के प्रधान परि ालन खाते के भाग के रूप में माना जाना चाहिए ।

4.2.8 सहायता संघीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अग्रिम

संघीय व्यवस्था के अंतर्गत खातों का आस्ति-वर्गीकरण **अलग-अलग सदस्य बैंकों की वसूली के अभिलेख** और अग्रिमों की वसूली की संभावनाओं को प्रभावित करने वाले अन्य पहलुओं पर आधारित होना चाहिए। जब संघीय ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा प्रेषित निधियां एक बैंक के पास एकत्र की जाती हैं और / या प्रेषित निधियां प्राप्त करने वाला बैंक जब अन्य सदस्य बैंकों का हिस्सा नहीं देता है तो अन्य सदस्य बैंकों की बहियों में उक्त खाते में 'अप्राप्ति' मानी जायेगी और इस प्रकार उक्त खाता अनर्जक-आस्ति माना जायेगा। इसलिए संघीय ऋण-व्यवस्था में भाग लेने वाले बैंकों को अपनी

संबंधित लेखा बहियों में समुचित आस्ति-वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए वसूली का अपना हिस्सा अग्रणी बैंक से अंतरित कराने की व्यवस्था करनी चाहिए या वसूली के अपने हिस्से को अंतरित करने के लिए अग्रणी बैंक से स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी चाहिए ।

4.2.9 <u>ऐसे खाते जहां प्रतिभूति के मूल्य में ह्रास हुआ है/उधारकर्ताओं द्वारा धोखाधड़ी की गई है</u>

उन खातों के संबंध में जहां प्रतिभूति के मूल्य में ह्रास से या प्रतिभूति उपलब्ध नहीं होने तथा उधारकर्ताओं द्वारा धोखाधड़ी जैसे अन्य कारणों से संबंधित खातों में जहां चुकौती के लिए संभावित खतरे हैं, ऐसे खातों को किसी अनर्जक आस्ति वर्गीकरण की विभिन्न श्रेणियों से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं है । ऐसे गंभीर अनर्जक ऋण के मामलों में ऐसी आस्तियों को तत्काल संदिग्ध अथवा हानि-आस्ति के रूप में, जैसा भी उ ित हो, वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

i. प्रतिभूति के मूल्य में ह्रास को तब महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जब प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बैंक द्वारा निर्धारित या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पिछले निरीक्षण के समय स्वीकृत मूल्य, जैसी भी स्थिति हो, के 50 प्रतिशत से कम हो । ऐसी अनर्जक आस्तियों को तत्काल संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और संदिग्ध आस्तियों के लिए लागू प्रावधान किया जाना चाहिए ।

ii. यदि बैंक / अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता /रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जमानत का वसूली योग्य मूल्य ऋण खातों में बकाया राशि के 10 प्रतिशत से कम है, तो जमानत के अस्तित्व को अनदेखा किया जाना चाहिए और आस्ति को सीधे ही हानि वाली आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए । बैंक द्वारा इसे या तो बट्टे खाते डाला जा सकता है अथवा इसके लिए पूर्णतः प्रावधान किया जा सकता है ।

4.2.10 <u>वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों /कृषक सेवा समितियों को दिये गये अग्रिम</u>

बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों /कृषक सेवा समितियों को दिये गये कृषि अग्रिमों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए मंजूर किये गये अग्रिमों के संबंध में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों /कृषक सेवा समितियों को मंजूर केवल वह विशिष्ट ऋण सुविधा ही अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत की जायेगी जिसे देय होने के पश्चात् अल्पावधि फसल के मामले में दो फसल मौसम और दीर्घावधि फसल के मामले में एक फसल मौसम तक की अवधि में नहीं चुकाया गया हो । प्राथमिक कृषि ऋण समितियों /कृषक सेवा समितियों को मंजूर सभी ऋण सुविधाओं को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत न किया जाए। उधार देने की व्यवस्था के बाहर बैंक द्वारा किसी प्राथमिक कृषि ऋण समिति /कृषक सेवा

समिति के सदस्य उधारकर्ता को मंजूर अन्य प्रत्यक्ष ऋण और अग्रिम अनर्जक आस्ति होंगे भले ही उसी उधारकर्ता को मंजूर ऋण सुविधाओं में से कोई एक भी ऋण सुविधा अनर्जक आस्ति हो जाये ।

4.2.11 मीयादी जमाराशियों, एनएससी, केवीपी / आइवीपी आदि की जमानत पर अग्रिम

मीयादी जमाराशियों, अभ्यर्पण के लिए पात्र राष्ट्रीय बचतपत्र, आइवीपी, के वी पी और जीवन पॉलिसियों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों को अनर्जक आस्तियां नहीं माना जाना चाहिए बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध है । सोने के आभूषणों, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य सभी प्रतिभूतियों की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिम इस छूट के अंतर्गत नहीं आते ।

4.2.12 ब्याज के भुगतान के लिए स्थगन वाले ऋण

i. औद्योगिक परियोजनाओं अथवा कृषि, बागान आदि के लिए दिये गये बैंक वित्त के मामले में, जहाँ ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन उपलब्ध है, वहां ब्याज का भुगतान ऋण स्थगन अथवा परियोजना के प्रारंभ से कार्यारंभ तक की अवधि बीतने के बाद ही 'देय' होता है । इसलिए इस प्रकार की राशि अतिदेय नहीं होती है और इसलिए ब्याज नामे करने की तारीख के संदर्भ में अनर्जक आस्ति नहीं होती। यदि वसूली नहीं होती तो ब्याज की अदायगी के लिए नियत तारीख के बाद वह राशि अतिदेय हो जाती है ।

ii. कर्मचारियों को दिये गये आवास ऋणों अथवा इसी तरह के अग्रिमों के मामले में, जहां मूलधन की वसूली के बाद ब्याज भुगतानयोग्य होता है, वहां ब्याज को पहली तिमाही के बाद से ही अतिदेय मानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के ऋणों / अग्रिमों को अनर्जक आस्ति के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाना चाहिए जब नियत तारीख को मूलधन की किस्त की चुकौती अथवा ब्याज की अदायगी में चूक हो ।

4.2.13 कृषि अग्रिम

i. अल्पावधि फसल के लिए मंजूर किसी ऋण को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा जब मूलधन की किस्त अथवा उसपर उपचित ब्याज़ दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय बना रहता है। दीर्घावधि फसल के लिए मंजूर ऋण को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा जब मूल धन की किस्त अथवा उसपर उपचित ब्याज़ एक फसल मौसम के लिए अतिदेय बना रहता है। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए 'दीर्घावधि फसल' वह फसल होगी जिसका फसल मौसम एक वर्ष से अधिक अवधिवाला होगा और जो फसल 'दीर्घावधि फसल' नहीं होगी उसे 'अल्पावधि फसल' माना जाएगा। प्रत्येक फसल के लिए फसल मौसम अर्थात् संबंधित उगी हुई फसल की कटाई तक की अवधि प्रत्येक राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा यथानिर्धारित अवधि होगी। कृषक द्वारा उगाई गई फसलों की अवधि पर निर्भर करते हुए अनर्जक आस्ति संबंधी उक्त मानदंड उस कृषक द्वारा लिए गए मीयादी कृषि ऋणों पर भी लागू किए जाएंगे।

उक्त मानदंड उन सभी प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों पर लागू किये जाने चाहिए, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋण के संबंध में 30 अप्रैल 2007 के मास्टर परिपत्र आरपीसीडी. सं. प्लान. बीसी. 84/ 04.09.01/2006-2007 की मद सं. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 और 1.2.1, 1.2.2 तथा 1.2.3 में सूचीबद्ध किये गये हैं। इन मदों की सूची अनुबंध I में दी गयी है । अनुबंध I में विनिर्दिष्ट ऋणों से इतर अन्य कृषि ऋणों तथा कृषीतर व्यक्तियों को दिए गए मीयादी ऋणों के संबंध में अनर्जक आस्तियों का निर्धारण उसी आधार पर किया जायेगा, जिस तरह कृषि से इतर अग्रिमों के लिए किया जाता है , जिसमें फिलहाल 90 दिन की चूक का मानदंड है।

ii. जहां प्राकृतिक विपत्तियां कृषि ऋणकर्ताओं की चुकौती की क्षमता को कम कर देती हैं, वहां बैंक राहत उपाय के रूप में निम्नलिखित के बारे में स्वयं निर्णय ले सकते हैं - अल्पावधि उत्पादन ऋण को मीयादी ऋण में परिवर्तित करना अथवा चुकौती की अवधि को पुनर्निर्धारित करना; और रिज़र्व बैंक के 1 जुलाई 2005 के परिपत्र आरपीसीडी. सं. पीएलएफएस. बीसी. 6/05.04.02/2004-05 में निहित दिशानिर्देशों के अधीन नए अल्पावधि ऋण स्वीकृत करना ।

iii. परिवर्तन या पुनर्निर्धारण के ऐसे मामलों में, मीयादी ऋण तथा नए अल्पावधि ऋण को चालू देयताओं के रूप में माना जाए तथा उनका वर्गीकरण अनर्जक आस्तियों के रूप में करने की आवश्यकता नहीं है । इन ऋणों का आस्ति-वर्गीकरण इसके बाद संशोधित शर्तों द्वारा प्रबंधित होगा तथा उसे अनर्जक आस्ति तभी माना जायेगा जब ब्याज और / या मूलधन की किस्त अल्प अवधि फसलों के लिए दो फसल मौसमों के लिए तथा दीर्घ अवधि फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए अदत्त बनी रहे। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए "दीर्घावधि" फसलें ऐसी फसलें होंगी जिनका फसल मौसम एक वर्ष से अधिक है और जो फसलें "दीर्घावधि" नहीं हैं वे "अल्पावधि" फसलें मानी जाएँगी ।

iv. लगातार प्राकृतिक आपदाओं, जैसे - सूखा, बाढ़, अथवा पिछले पांच साल में लगातार दो या अधिक वर्ष से संबंधित जिलों में हुई अन्य कोई प्राकृतिक आपदा के कारण जिन किसानें के उत्पादन पर विपरीत असर हुआ है और ि ानकी आय में हानि हुई है, ऐसे किसानों के 31 मार्च 2004 के ऋणों की बैंक पुनर्व्यवस्था/ पुनर्रचना कर सकते हैं बशर्ते संबंधित राज्य सरकार ने उस राज्य को आपदाग्रस्त राज्य के रूप में घोषित किया हो। तदनुसार, ऐसे ऋणकर्ताओं (फसल ऋण और कृषि मीयादी ऋण) के खातों में 31 मार्च 2004 तक बकाया/उपचित ब्याज, 31 मार्च 2004 को उनमें बकाया मूल धन के साथ मिला दिया जाए। इस प्रकार से जोड़ की जो राशि होगी उसकी चुकौती मौजूदा ब्याज दर पर पांच वर्ष की अवधि में करनी होगी; जिसमें दो वर्ष की प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि को भी शामिल किया गया है। स्थायी दिशानिर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिन फसल ऋणों और कृषि ऋणों की पहले ही पुनर्रचना की गयी है उनके संबंध में प्रस्तावित पुनर्रचना के लिए 31 मार्च 2004 को उनपर उपचित ब्याज सहित केवल अतिदेय किस्तों को हिसाब में लिया जाए। उपर्युक्तानुसार पुनर्रचना के बाद, संबंधित किसान नए ऋणों के लिए पात्र होंगे। पुनर्व्यवस्थित/ पुनर्रचित ऋणों तथा किसानों को दिए जानेवाले नए ऋणों को चालू देय राशियाँ माना जाए और उन्हें अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत

करने की आवश्यकता नहीं है । चूँकि उक्त नए ऋण, कृषि ऋणों को यथालागू अनर्जक आस्तियों के मानदंडों द्वारा नियंत्रित होंगे अत: पुनर्व्यवस्थित/पुनर्रचित ऋणों के मामलों में अनर्जक आस्ति संबंधी मानदंड तीसरे वर्ष के आगे से अर्थात् प्रारंभिक अधिस्थगन के दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद लागू होंगे।

v) राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किये गये अनुसार दक्षिण - पश्चिम मान्सून से वर्षा न होने के कारण प्रभावित ज़िलों में खरीफ फसल ऋणों में 2002-03 वित्तीय वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज के रूप में किसी राशि की वसूली न करें। साथ ही, ऐसे मामलों में फसल ऋणों की मूल राशि को मीयादी ऋणों में परिवर्तित किया जायेगा तथा उनकी वसूली छोटे और सीमांत किसानों के मामले में न्यूनतम 5 वर्ष में तथा अन्य किसानों के मामले में 4 वर्ष की अवधि में की जायेगी। फसल ऋणों पर वित्तीय वर्ष 2002-03 में प्राप्य ब्याज को भी आस्थगित किया जायेगा और आस्थगित ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लगाया जायेगा। फसल ऋणों के मीयादी ऋणों में परिवर्तन करने या पुनर्निर्धारण करने के ऐसे मामलों में मीयादी ऋणों को चालू प्राप्य राशि माना जाए तथा उन्हें अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने की जरूरत नहीं है । इन ऋणों के आस्ति वर्गीकरण को तत्पश्चात् संशोधित शर्तों के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा तथा उन्हें अनर्जक आस्ति तभी माना जाएगा यदि दो फसल ऋतुओं तक ब्याज और/या मूलधन की किस्त अतिदेय रहती है।

vi) किसानों को इंदिरा आवास योजना तथा स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत दिए गए अग्रिमों की चुकौती की अनुसूची तय करते समय, बैंक यह सुनिश्चित करें कि इन अग्रिमों पर देय ब्याज /किस्त फसल चक्र से संबद्ध की जाए ।

4.2.14 <u>सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम</u>

केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाएं अतिदेय होने पर भी अनर्जक आस्ति के रूप में तभी मानी जायें जब सरकार लागू की गयी अपनी गारंटी को अस्वीकार कर दे। सरकार की गारंटी प्राप्त अग्रिमों को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की यह छूट आय के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नहीं है। राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण की अपेक्षाएँ तय करने के लिए राज्य सरकार की गारंटी लागू करने की आवश्यकता हटा दी गई है । 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष से, यदि ब्याज और /अथवा मूलधन या बैंक को देय अन्य कोई राशि 90 दिनों से अधिक अतिदेय रहती है तो राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों और राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के मानदंड लागू होंगे ।

4.2.15 <u>ऋणों को पुनर्व्यवस्थित /पुनर्निर्धारित करना</u>

i. उन अवस्थाओं की पहचान निम्नानुसार की जा सकती है, जिनमें ऋण करार की शर्तों को पुनर्व्यवस्था /पुनर्निर्धारण /बातचीत से पुनः तय किया जा सकता है :

क. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के पूर्व,

ख. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद, परंतु आस्ति के अवमानक आस्ति के रूप

में वर्गीकृत किये जाने से पहले,

ग. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद तथा जब आस्ति को अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो ।

ऊपर बतायी गयी तीनों अवस्थाओं में से प्रत्येक में, तैयार किये गये पुनर्व्यवस्थित करने के पैकेज के भाग के रूप में, परित्याग सहित या परित्याग के बिना, मूलधन और / या ब्याज का पुनर्निर्धारण आदि किया जा सकता है ।

ii. <u>पुनर्व्यवस्थित मानक खातों का व्यवहार</u>

क. पहली दोनों अवस्थाओं में से किसी अवस्था में सिर्फ मूल धन की किस्तों को पुर्व्यवस्थित किये जाने से एक मानक आस्ति को अवमानक आस्ति की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जायेगा, बशर्ते उधार / ऋण की सुविधा पूर्णतः जमानतयुक्त हो ।

ख. ऊपर बतायी गयी पहली दो अवस्थाओं में से किसी अवस्था में ब्याज को पुनर्व्यवस्थित किये जाने से किसी आस्ति का दर्जा घटाकर उसे अवमानक श्रेणी में नहीं लाया जायेगा, बशर्ते ब्याज के मामले में वर्तमान मूल्य के रूप में मापी गयी परित्याग की राशि को, यदि कोई हो, या तो बट्टे खाते डाल दिया गया हो या उसके परित्याग की मात्रा तक के लिए प्रावधान किया गया हो । इस प्रयोजन के लिए किसी खाते के मामले में मूल ऋण करार के अनुसार भविष्य में देय ब्याज को ऋणकर्ता की जोखिम श्रेणी के लिए उपयुक्त दर पर वर्तमान मूल्य(अर्थात् चालू मूल ऋणदर (पी एल आर) + ऋणकर्ता की श्रेणी के लिए उपयुक्त ऋण जोखिम प्रीमियम) पर भुनाया जाना चाहिए तथा उसकी तुलना उसी आधार पर भुनाये गये पुनर्व्यवस्थित करने के पैकेज के अंतर्गत प्राप्त किये जाने के लिए प्रत्याशित देय राशियों के वर्तमान मूल्य से की जानी चाहिए ।

ग. यदि वर्तमान मूल्य के रूप में ब्याज की राशि में कोई परित्याग शामिल हो, जैसा कि उक्त (ख) में उल्लेख किया गया है, तो परित्याग की राशि को या तो बट्टे खाते डाला जाना चाहिए या परित्याग की मात्रा तक के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए ।

iii. <u>पुनर्व्यवस्थित अवमानक खातों का व्यवहार</u>

क. मूलधन की किस्तों का ही पुनर्निर्धारण किये जाने मात्र से अवमानक आस्ति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहने के लिए पात्र होगी, बशर्ते उधार / ऋण की सुविधा पूर्णतः जमानतयुक्त हो ।

ख. ब्याज का पुनर्निर्धारण किये जाने से अवमानक आस्ति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने के लिए पात्र बनी रहेगी, बशर्ते ब्याज के मामले में वर्तमान मूल्य के रूप में मापी गयी परित्याग की राशि, यदि कोई हो, या तो बट्टे खाते डाल दी गयी हो या उसके परित्याग की मात्रा तक के लिए प्रावधान किया गया

हो । इस प्रयोजन के लिए किसी खाते के मामले में मूल ऋण करार के अनुसार भविष्य में देय ब्याज को ऋणकर्ता की जोखिम श्रेणी के लिए उपयुक्त दर पर वर्तमान मूल्य (अर्थात् चालू मूल ऋण दर + ऋणकर्ता की श्रेणी के लिए उपयुक्त ऋण जोखिम प्रीमियम) पर भुनाया जाना चाहिए तथा उसकी तुलना उसी आधार पर भुनाये गये पुनर्व्यवस्थित करने के पैकेज के अंतर्गत प्राप्त किये जाने के लिए प्रत्याशित देयराशियों के वर्तमान मूल्य से की जानी चाहिए ।

ग. यदि वर्तमान मूल्य के रूप में ब्याज की राशि में कोई परित्याग शामिल हो, जैसा कि उक्त (ख) में उल्लेख किया गया है, तो परित्याग की राशि को या तो बट्टे खाते डाला जाना चाहिए या परित्याग की मात्रा तक के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। जिन मामलों में गत देय ब्याज को बट्टे खाते डालकर परित्याग किया गया हो उन मामलों में भी आस्ति को अवमानक आस्ति के रूप में माना जाना जारी रखा जाए ।

(iv) <u>पुनर्व्यवस्थित खातों का उन्नयन</u>

जो अवमानक खाते पुनर्व्यवस्थित आदि किये जाने हैं, चाहे वह मूलधन की किस्त के संबंध में हो या ब्याज राशि के संबंध में, किसी भी रूप में हो, उन्हें एक निर्दिष्ट अवधि के बाद ही मानक श्रेणी में उन्नत किया जा सकता है, अर्थात् ब्याज या मूलधन, जो भी पहले देय हो, का पहला भुगतान, देय हो जाने की तारीख के बाद एक वर्ष की अवधि तक वह संतोषजनक रूप में निष्पादित रहे। पहले किये गये प्रावधान की राशि, ऊपर बताये गये अनुसार वर्तमान मूल्य में ब्याज राशि में परित्याग के लिए प्रावधान की गयी शुद्ध राशि को भी एक वर्ष के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। इस एक वर्ष की अवधि में यदि खाता संतोषजनक रूप में रहे तो अवमानक आस्ति अपने वर्गीकरण में कम श्रेणी वाली नहीं होगी। परंतु यदि एक वर्ष की अवधि में संतोषजनक निष्पादन दिखायी न पड़े तो पुनर्व्यवस्थित खाते का आस्ति वर्गीकरण पुनर्व्यवस्थित करने के पहले के भुगतान कार्यक्रम के संदर्भ में लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार शासित होगा ।

(v) <u>सामान्य</u>

क. उक्त उप-पैरा (i)से (iv) तक में निहित ये अनुदेश सभी प्रकार की ऋण सुविधाओं पर लागू होंगे, जिनमें औद्योगिक इकाइयों को दी गयी कार्यशील पूंजी सीमाएं शामिल हैं, बशर्ते वे गोचर जमानत द्वारा पूरी तरह सुरक्षित हों।

ख. चूंकि व्यापार में केवल पण्यों की खरीद और बिक्री शामिल है और निर्माता इकाइयों के सामने आने वाली वाणि यक उत्पादन, समय और लागत बढ़ने आदि अड़चनों जैसी समस्यायें उन पर लागू नहीं हैं, इसलिए व्यापारियों को दी गयी ऋण सुविधाओं की पुनर्व्यवस्था /चुकौती के पुनर्निर्धारित कार्यक्रम पर उक्त उप-पैरा (i)से (iv) तक में निहित दिशा-निर्देश लागू नहीं किये जाने चाहिए ।

ग. जिन ऋणों को पुनर्व्यवस्थित/चुकौती कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण किया जा रहा हो उन ऋण सुविधाओं के लिए कितनी सुरक्षा उपलब्ध है, इसका निर्धारण करते समय संपार्श्विक जमानत को भी हिसाब में लिया जायेगा, बशर्ते इस प्रकार की संपार्श्विक
जमानत गोचर जमानत हो और बैंक के पक्ष में उचित रूप से प्रभारित हो तथा प्रवर्तक /अन्यों की गारंटी जैसे अगोचर रूप में न हो।

घ. बैंक पूर्वप्रभावी प्रभाव से उधार खातों को पुनर्व्यवस्थित/पुनर्निर्धारित/पुनः वार्ता तय नहीं कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्निर्धारित पैकेज के अनुमोदन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण का दर्जा, पुनर्व्यवस्था/पुर्निधारण/पुनः बातचीत के बाद संबंधित खाते के आस्ति वर्गीकरण दर्जे को तय करने के लिए संगत होगा । पुनर्निर्धारण पैकेज की मंजूरी में अत्यधिक विलंब होने के मामले में, यदि इस दौरान खाते का आस्ति वर्गीकरण खराब हो जाने पर पर्यवेक्षीय हस्तक्षेप लागू होगा ।

ङ. जब तक बार-बार ऐसी पुनर्रचना/पुनर्व्यवस्था करने के लिए कोई बहुत ही ठोस और पुख्ता कारण न हो तब तक बैंकों से यह अपेक्षित नहीं है कि वे बार-बार उन्हें देय राशि की पुनर्रचना/ पुनर्व्यवस्था करें। सभी मामलों में पुनर्रचना अर्थक्षमता मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए। उधारकर्ता के नकदी प्रवाह पर ध्यान दिए बगैर की गयी पुनर्रचना पर्यवेक्षी चिंता का कारण बन जाएगी। उपर्युक्त पैरा (ii) तथा (iii) के अनुसार विशेष आस्ति वर्गीकरण दर्जा केवल तब उपलब्ध होगा जब नीचे दिए गए पैरा 4.2.16 (छ) में उल्लिखित सीडीआर तंत्र के अंतर्गत पुनर्व्यवस्था के लिए पूर्व में ही निर्धारित किए गए अनुसार खाते को पहली बार पुनर्व्यवस्थित किया गया हो ।

च. साधारण तौर पर, जब तक देनदार के औपचारिक सहमति / आवेदन से मूल ऋण - अनुबंध में तबदीली /परिवर्तन न हो तब तक पुनर्निर्धारण नहीं किया जा सकता । तथापि, योग्य मामलों में बैंक द्वारा पुनर्निर्धारण प्रक्रिया की पहल की जा सकती है, बशर्ते ग्राहक उन शर्तों से सहमत हो।

छ. आय और 'ईक्विटी, डिबेंचरों और किसी अन्य लिखत में परिवर्तन' के रूप में निर्धारित 'निधिक ब्याज' के विनियामक व्यवहार का जहां तक संबंध है, बैंकों को निम्नलिखित को अपनाना चाहिए :

i. <u>निधिक ब्याज</u> : अनर्जक आस्तियों, चाहे वे ऋण करार की शर्तों की पुनर्व्यवस्था/ पुनर्निर्धारण/ पुनः बातचीत के अधीन हो अथवा न हो, के संबंध में आय निर्धारण वसूली के बाद केवल नकद आधार पर ही किया जाना चाहिए और यदि अतिदेय ब्याज़ की राशि निधिकृत है तो नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यदि निधिकृत ब्याज़ की राशि को आय के रूप में माना जाता है तो साथ-साथ उतनी ही राशि के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में

यदि अनर्जक आस्तियों के संबंध में ब्याज़ के किसी निधीकरण को आय के रूप में लिया जाता है, तो उसेक लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए।

ii) <u>ईक्विटी, डिबेंचरों अथवा किसी अन्य लिखत में परिवर्तन</u> : अन्य लिखतों में परिवर्तित बकाया राशि में सामान्यत: मूल धन और ब्याज़ घटकों का समावेश रहता है। यदि देय ब्याज़ की राशि को ईक्विटी या अन्य किसी लिखत में परिवर्तित किया जाता है, और आय को उसके परिणाम स्वरूप माना जाता है तो इस प्रकार के आय निर्धारण के परिणाम को प्रतिसंतुलित करने के लिए ऐसी आय की राशि के लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान, निवेश मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार, संबंधित ईक्विटी अथवा अन्य लिखतों के मूल्य में ह्रास के प्रति आवश्यक प्रावधान की राशि के अतिरिक्त होगा।तथापि, यदि कोट की गई ईक्विटी में ब्याज़ का परिवर्तन किया गया है तो ब्याज़ की आय परिवर्तन की तारीख को, ईक्विटी में परिवर्तित ब्याज की राशि से अनधिक, ईक्विटी के बाज़ार मूल्य पर निर्धारित की जाए। ऐसी ईक्विटी को उसके बाद 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत करना होगा और उसे निम्न लागत अथवा बाज़ार मूल्य पर मूल्यांकित करना होगा। अनर्जक आस्तियों के संबंध में मूलधन और /या ब्याज़ को डिबेंचरों में परिवर्तित किये जाने के मामले में ऐसे डिबेंचरों को प्रारंभ से उसी आस्ति वर्गीकरण में, जो परिवर्तन किये जाने तथा मानदंडों के अनुसार प्रावधान करने के बिल्कुल पहले लागू थे, अनर्जक आस्ति माना जाना चाहिए। यह मानदंड शून्य कूपन बांडों अथवा अन्य लिखतों को भी लागू होंगे जो उसके जारीकर्ता की देयता को आस्थगित करना चाहते हैं। ऐसे डिबेंचरों पर आय केवल वसूली के आधार पर ही निर्धारित की जाए। जो डिबेंचरों अथवा अन्य किसी नियत परिपक्वता वाले लिखत में परिवर्तित किये गये, वसूल न हुए ब्याज़ के मामले में आय को केवल ऐसे लिखत के प्रतिदान पर ही निर्धारित किया जाए। उपर्युक्त शर्त के अधीन, ईक्विटी शेयर अथवा ऋण के मूल धन के परिवर्तन के कारण बने अन्य लिखत भी उन प्रचलित विवेकपूर्ण मूल्यांकन मानदंडों के अधीन होंगे, जो ऐसे लिखतों पर लागू होते हैं।

ज. जब संबंधित खाता एक मानक परिसंपत्ति बन जाता है तब अनर्जक आस्तियों के लिए क्ये गये प्रावधान को हटाने की अनुमति है। किसी पुनर्व्यवस्थित/ पुनर्निधारित खाते में ब्याज़ त्यागने के प्रति किया गया प्रावधान, सभी चुकौती दायित्वों को संतोषजनक रूप से पूरा कर लेने पर तथा संबंधित खाते की बकाया राशि को पूरी तरह चुका दिये जाने पर हटाया जाए। बैंकों को हर वर्ष ब्याज़ त्यागने की राशि की पुन: गणना तथा उसके प्रति किये गये प्रावधानों में समायोजन नहीं करना चाहिए।

झ. जहां बैंक पुनर्व्यवस्था के लिए औद्योगिक इकाइयों से अन्य खातों पर भी विचार कर सकते हैं, वहां ऐसे खातो की पुनर्व्यवस्था के लिए विचार किये जाने के पहले उन्हें अर्थक्षमता की मूलभूत कसौटी पर खरा उतरना होगा । तथापि, ये खाते उक्त उप-पैरा (ii) और (iii) में दर्शाए पुनर्रचित 'मानक' एवं पुनर्रचित 'अवमानक' खातों को उपलब्ध विशेष आस्ति वर्गीकरण दर्जे के लिए पात्र नहीं होंगे। जो खाते उक्त उप-पैरा (i) से (iii) के अनुसार पुनर्व्यवस्था/ पुनर्रचना के लिए पात्र नहीं हैं, वे निम्नलिखित विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होंगे:

i) सामान्य तौर पर उक्त पुनर्व्यवस्थित/पुनर्रचित खातों का अगले आस्ति वर्गीकरण दर्जे में कालप्रभावी होना तथा अंतरित होना जारी रहेगा । बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यदि मीयादी ऋण अथवा कार्यशील पूंजी सुविधा दोनों के लिए वर्तमान मूल्य में आंके गये ब्याज़ के रूप में कोई त्याग की गयी राशि है तो वह या तो बट्टे खाते डाली जाए अथवा जितनी राशि का त्याग किया गया है उतनी राशि के लिए प्रावधान किया जाए। इस प्रयोजन के लिए किसी खाते के मामले में मूल ऋण करार के अनुसार देय भावी ब्याज़ को वर्तमान मूल्य में, उधारकर्ता की जोखिम श्रेणी के लिए उचित दर (अर्थात वर्तमान पीएलआर + संबंधित उधारकर्ता श्रेणी के लिए समुचित ऋण जोखिम प्रीमियम) पर छूट देनी चाहिए और उसकी तुलना पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत, उसी आधार पर छूट प्राप्त, जितनी देय राशियां प्राप्त होना अपेक्षित है उनके वर्तमान मूल्य के साथ की जानी चाहिए ।

ii) किसी भी पद्धति के ये पुनर्व्यवस्थित/ पुनर्रचित खाते, चाहे वे मूल धन की किस्त के संबंध में हों या ब्याज़ की राशि के संबंध में हों, संशोधित अवधि के अधीन ब्याज़ के या मूल धन के पहले भुगतान (जो भी पहले हो) की तारीख नियत हो जाती है, के एक वर्ष की अवधि के बाद ही मानक श्रेणी में उन्नयन के लिए पात्र होंगे बशर्ते संबंधित अवधि के दौरान उनका कार्यनिष्पादन संतोषजनक हो। ऊपर कहे गये अनुसार वर्तमान मूल्य के ब्याज़ की राशि में त्याग के लिए प्रावधान की गयी राशि को घटाकर पहले किये गये प्रावधान की राशि को भी एक वर्ष की अवधि के बाद हटाया जा सकता है।

ञ. तुलन-पत्र की 'लेखा संबंधी टिप्पणी' में पुनर्व्यवस्थित/पुनर्रचित खातों से संबंधित प्रकटीकरण, संबंधित वर्ष के दौरान पुनर्व्यवस्थित/पुनर्रचित सभी खातों पर लागू है। जहाँ बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे निर्धारित न्यूनतम प्रकटीकरण मानदंडों का पालन करते हैं, वहीं वे निर्धारित न्यूनतम प्रकटीकरण से अधिक प्रकटीकरण कर सकते हैं।

4.2.16 कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन (सीडीआर) प्रणाली संबंधी संशोधित दिशानिर्देश

क. पृष्ठभूमि

i) कंपनी ऋण के पुनर्व्यवस्थापन के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने के संबंध में युनाइटेड किंगडम, थाइलैंड, कोरिया आदि अन्य देशों के अनुभव के आधार पर ऐसी ही व्यवस्था भारत में करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली विकसित की गयी है और बैंकों द्वारा उसके कार्यान्वयन के लिए 23 अगस्त 2001 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 15/ 21.04.114/ 2000-01 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये । उसके बाद, सीडीआर प्रक्रिया के परिचालन को और अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री के 2002-2003 के केंद्रीय बजट में की गयी घोषणा के अनुसार और सरकार के साथ परामर्श से गठित कार्य दल (अध्यक्षः श्री वेपा कामेसम, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक) की सिफारिशों के आधार पर कार्पोरेट ऋण पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली संबंधी दिशा-निर्देशों को 5 फरवरी 2003 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 68/21.04.114/2002-03 के अनुसार संशोधित किया गया है ।

ii) सीडीआर तंत्र की समीक्षा करने और उसमें सुधारों /परिवर्तनों, यदि कोई हों, को सुझाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती एस. गोपीनाथ की अध्यक्षता में सितंबर 2004 में एक विशेष दल गठित किया गया। विशेष दल के सुझावों और दिशानिर्देशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर सीडीआर दिशानिर्देशों में आगे और संशोधन किया गया । संशोधित दिशानिर्देश उपर्युक्त 5 फरवरी 2003 के उक्त परिपत्र में दिए गए वर्तमान दिशा-निर्देशों का अधिक्रमण करते हैं।

iii) सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्व्यवस्थापन की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ऋण पुनर्व्यवस्थापन की दो श्रेणियों का प्रावधान किया गया है । जो खाते जिन्हें ऋणदाताओं की बहियों में 'मानक' और 'अवमानक' के रूप में श्रेणीबद्ध किये गये हैं, उन्हें प्रथम वर्ग (वर्ग-1) में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा । वे खाते जिन्हें ऋणदाताओं की बहियों में 'संदिग्ध' के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है, उन्हें दूसरे वर्ग (वर्ग-2) में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा ।

सीडीआर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गयी हैं :

ख. <u>उद्देश्य</u>

कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन के ढांचे का उद्देश्य औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर), ऋण वसूली अधिकरण (डी आर टी) तथा अन्य कानूनी कार्यवाही की परिधि से बाहर समस्याओं का सामना कर रही, संभाव्य क्षमता वाली कंपनियों के कंपनी ऋणों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए समय पर और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करना है, जो सभी संबंधित संस्थाओं के लिए लाभदायक हो । विशेष रूप से ढांचे का लक्ष्य संभाव्य क्षमता वाली उन कंपनियों को बचाना होगा जो कतिपय आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित हों और इसका उद्देश्य ऋणदाताओं तथा अन्य हितधारकों की हानियों को सुव्यवस्थित और समन्वित पुनर्व्यवस्थापन कार्यक्रम के माध्यम से कम से कम करना भी है ।

ग. विन्यास

अपने देश में कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली का ढांचा तीन स्तरीय होगा :

- कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन स्थायी मंच और उसका मुख्य समूह
- कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन अधिकारप्राप्त समूह
- कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन कक्ष

i) कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन स्थायी मंच

क) कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन स्थायी मंच इस प्रणाली में भाग लेने वाली सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों का प्रातिनिधिक सामान्य निकाय (बॉडी) होगा। सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को अपने हित में इस प्रणाली में भाग लेना चाहिए। कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन स्थायी मंच स्वयं में एक अधिकारप्राप्त निकाय होगा, जो नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा, कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन की प्रगति पर निगरानी रखेगा ।

ख) यह मंच ऋणदाताओं और ऋणकर्ताओं दोनों के लिए (परामर्श द्वारा) सभी संबंधित संस्थाओं के हित में ऋण पुनर्व्यवस्थापन योजनाएं बनाने के लिए नीतियां और दिशानिर्देश मित्रभाव से और सामूहिक रूप से विकसित करने के लिए एक आधिकारिक मंच प्रदान प्रदान करेगा।

ग) कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन स्थायी मंच में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक; अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक निदेशक, आइसीआइसीआइ बैंक; अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ और साथ ही प्रणाली में स्थायी सदस्य के रूप में भाग लेने वाले सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल होंगे। चूंकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम जैसी संस्थाओं को कुछ ऋणकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम उठाने पड़े हैं, अतः ये संस्थाएं कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली में भाग ले सकती हैं। यह मंच एक वर्ष की अवधि के लिए अपना अध्यक्ष चुनेगा और बाद के वर्षों में क्रमिक रूप से चयन का सिद्धांत अपनाया जायेगा। परंतु यह मंच कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन स्थायी मंच को मार्गदर्शन देने और मंच के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्णकालिक अधिकारी के रूप में एक कार्यकारी अध्यक्ष रखने का निर्णय कर सकता है। रिज़र्व बैंक, कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन स्थायी मंच और मुख्य समूह का सदस्य नहीं होगा। इसकी भूमिका विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करने तक सीमित होगी।

घ) कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन स्थायी मंच की बैठक हर छः महीने में कम से कम एक बार होगी और मंच कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करेगा और उस पर निगरानी रखेगा। यह मंच ऋण के पुनर्व्यवस्थापन के लिए कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन (सीडीआर) कक्ष द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ और दिशानिर्देश जिनमें पुनर्व्यवस्थापन के

लिए महत्वपूर्ण मानदंड शामिल हैं (उदाहरण के लिए पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के अंतर्गत किसी इकाई के सक्षम हो जाने की अधिकतम अवधि, प्रवर्तकों के न्यूनतम स्तर के त्याग आदि) भी निर्धारित करेगा तथा उनके

सुचारू रूप से कार्य निष्पादन और ऋण पुनर्व्यवस्थापन के लिए निर्धारित समय अनुसूचियों का पालन सुनिश्चित करेगा । यह मंच कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन अधिकारप्राप्त समूह और ऋण पुनर्व्यवस्थापन क क्ष के अलग-अलग निर्णयों की भी समीक्षा करेगा। कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन स्थायी मंच उन मामलों के निपटान के लिए विशेष व्यवहार हेतु दिशानिर्देश भी बना सकता है जो जटिल हैं तथा जिनमें उनपर कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा से अधिक देरी होने की संभावना है।

ङ) कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन का मुख्य समूह (कोर ग्रुप) कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन स्थायी मंच में से बनाया जायेगा, जो स्थायी मंच की ओर से बैठकों के संयोजन और नीति संबंधी निर्णय लेने में स्थायी मंच की सहायता करेगा । इस मुख्य समूह में आइडीबीआइ, भारतीय स्टेट बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक ल., बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक होंगे तथा भारतीय बैंक संघ के उपाध्यक्ष भी होंगे जो भारत में विदेशी बैंकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

च) कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन मुख्य समूह ऋण के पुनर्व्यवस्थापन के लिए कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन (सीडीआर) कक्ष द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा। इन दिशा-निर्देशों में कंपनी ऋण पुनर्विन्यास अधिकारप्राप्त समूह की कार्यप्रणाली में अनुभव की गयी परि ालन संबंधी कठिनाइयों को उपयुक्त रूप से दूर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा । कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन मुख्य समूह कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली को भेजे जाने वाले मामलों की जांच के लिए पर्ट (PERT) चार्ट भी निर्धारित करेगा तथा समय सीमा को लागू करने के तरीकों पर निर्णय लेगा । कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन मुख्य समूह ऐसे दिशा-निर्देश भी निर्धारित करेगा ि जिनसे यह सुनिश्चित हो कि पुनर्व्यवस्थापन प्रस्ताव तैयार / अनुमोदित करते समय अति आशावादी अनुमान (प्रोजेक्शन)नहीं किये जाते, विशेष रूप से क्षमता के उपयोग, उत्पाद की कीमत, लाभ मार्जिन, मांग, कच्चे माल की उपलब्धता, आगत-निर्गत अनुपात तथा आयातों / अंतरराष्ट्रीय लागत संबंधी प्रतिस्पर्धा के संभावित प्रभाव के संबंध में ।

ii) <u>कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह</u>

क) सीडीआर के अलग-अलग मामलों का निर्णय कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन अधिकारप्राप्त समूह द्वारा किया जायेगा, ि जसमें आइडीबीआइ लि., आइसीआइसीआइ बैंक लि. और भारतीय स्टेट बैंक के कार्यपालक निदेशक के स्तर के प्रतिनिधि स्थायी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के कार्यपालक निदेशक के स्तर के प्रतिनिधि तो होंगे ही जिनका संबंधित कंपनी के प्रति ऋण आदि जोखिम विद्यमान है । जहां स्थायी सदस्य समूह की बैठकों के संचालन को सुसाध्य बनाएंगे, वहीं वोटिंग केवल ऋणदाताओं के ऋण जोखिम के अनुपात में होगी। कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन अधिकारप्राप्त समूह प्रभावशाली एवं व्यापक आधार वाला हो तथा कुशलतापूर्वक और सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसके लिए यह सुनिश्चित करना

होगा कि सहभागी संस्थाएं /बैंक वरिष्ठ अधिकारियों के ऐसे पैनल को अनुमोदित करें जो कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन अधिकारप्राप्त समूह में उनका प्रतिनिधित्व करें और यह सुनिश्चित किया जाये कि वे कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन अधिकारप्राप्त समूह की बैठकों में भाग लेने के लिए पैनल में से ही अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है ।इसके साथ ही, एक लेखे से संबंधित बैठक में भाग लेने वाले नामिती को ही उस लेखे से संबंधित सभी बैठकों में बिना चूके भाग लेना चाहिए, न कि उनके प्रतिनिधियों को।

ख) कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन अधिकारप्राप्त समूह में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से वरिष्ठ स्तर का होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्था त्याग सहित ऋण पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यक वचनबद्धताओं का पालन करती है। सहभागी संस्थाओं/बैंकों के संबंधित बोर्डों द्वारा कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन अधिकारप्राप्त समूह के प्रतिनिधियों के पक्ष में सामान्य प्राधिकरण होना चाहिए, ि जसमें अलग-अलग कंपनियों के ऋण पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में संगठन की ओर से निर्णय लेने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया हो ।

ग) उक्त अधिकारप्राप्त समूह सीडीआर कक्ष द्वारा उसे प्रस्तुत पुनर्व्यवस्थापन के अनुरोधों के सभी मामलों की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विचार करेगा। अधिकारप्राप्त समूह द्वारा यह निर्णय किये जाने के बाद की प्रथम दृष्टि में कंपनी का पुनर्व्यवस्थापन संभव है और स्थायी मंच द्वारा बनायी गयी नीति और दिशा-निर्देशों के अनुसार यह उद्यम संभाव्य रूप से अर्थक्षम है, तो सी डी आर कक्ष द्वारा प्रमुख संस्थान के सहयोग से विस्तृत पुनर्व्यवस्थापन पैकेज तैयार किया जायेगा। तथापि, यदि प्रमुख संस्थान के सामने विस्तृत पुनर्व्यवस्थापन पैकेज कार्यक्रम बनाने में कठिनाई आती है तो सहभागी बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को ऐसी वैकल्पिक संस्था/बैंक का निर्णय लेना चाहिए जो अधिकारप्राप्त समूह की पहली बैठक में, जब कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन कक्ष की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा हो, विस्तृत पुनर्व्यवस्थापन कार्यक्रम तैयार करेगा ।

घ) कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन अधिकारप्राप्त समूह को ऋण के पुनर्व्यवस्थापन के प्रत्येक मामले को देखने, कंपनी की अर्थक्षमता तथा पुनर्व्यवस्था की संभावना की जांच करने तथा 90 दिन की विनिर्दिष्ट अवधि अथवा अधिकारप्राप्त समूह को मामला प्राप्त होने के अधिक से अधिक 180 दिन के भीतर पुनर्व्यवस्थापन पैकेज को अनुमोदित करने का कार्य सौंपा जायेगा। कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन अधिकारप्राप्त समूह निम्नलिखित उदाहरणस्वरूप मानदंडों के आधार पर स्वीकार्य व्यवहार्यता आधार (बेंचमार्क) स्तर निश्चित करेगा, जो अलग-अलग मामले के गुणदोषों के आधार पर प्रत्येक मामले के आधार पर लागू होंगेः

- लगायी गयी पूंजी पर प्रतिफल
- ऋण शोधन व्याप्ति अनुपात
- प्रतिफल की आंतरिक दर और निधि की लागत के बीच अंतर
- परित्याग (सेक्रीफाइस) की सीमा

ङ) प्रत्येक बैंक /वित्तीय संस्था के बोर्ड द्वारा अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी और/ या कार्यपालक निदेशक को प्राधिकृत किया जाना चाहिए कि वह कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली के पास आने वाले मामलों के संदर्भ में नियंत्रण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं सहित

पुनर्व्यवस्थापन पैकेज कार्यक्रम के बारे में निर्णय ले सके। कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन अधिकारप्राप्त समूह प्रत्येक ऋण खाते के संदर्भ में दो या तीन बार मिलेगा। इससे सहभागी सदस्यों को उन मामलों के संदर्भ में

जहां पुनर्व्यवस्थापन के जटिल महत्वपूर्ण मानदंड उन्हें दिये गये प्राधिकार की सीमा से ऊपर हैं, आवश्यकता होने पर अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी /कार्यपालक निदेशक से उचित प्राधिकार की मांग करने का अवसर प्राप्त होगा ।

च) कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन अधिकारप्राप्त समूह के निर्णय अंतिम होंगे। यदि ऋण का पुनर्व्यवस्थापन अर्थक्षम और संभाव्य पाया जाये और अधिकारप्राप्त समूह द्वारा स्वीकार किया जाये, तो कंपनी को पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली में रखा जायेगा। तथापि, यदि पुनर्व्यवस्थापन को अर्थक्षम नहीं पाया जाये, तो लेनदार प्राप्य राशि की तत्काल वसूली और/या समापन या कंपनी को बंद करने के लिए सम्मिलित रूप से या अलग-अलग आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

iii) <u>कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन कक्ष</u>

क) सीडीआर स्थायी मंच तथा सीडीआर अधिकारप्राप्त समूह को उनके सभी कार्यों में एक कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन कक्ष द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी। यह सीडीआर कक्ष ऋणकर्ताओं /ऋणदाताओं से प्राप्त प्रस्तावों की, प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन योजना और अन्य सूचना मंगवाकर प्रारंभिक संवीक्षा करेगा और मामले को सीडीआर अधिकारप्राप्त समूह के समक्ष एक महीने के भीतर रखेगा, ताकि यह निर्णय किया जा सके कि प्रथम दृष्टि में पुनर्व्यवस्थापन संभाव्य है या नहीं। यदि संभाव्य है, तो सीडीआर कक्ष ऋणदाताओं की सहायता से विस्तृत पुनर्व्यवस्था योजना तैयार करेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो बाहर से विशेषज्ञों को भी कार्य में लगायेगा। यदि मामला प्रथम दृष्टि में संभाव्य नहीं पाया जाता तो ऋणदाता अपनी प्राप्य राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं ।

ख) ऋणदाताओं या ऋणकर्ताओं द्वारा कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन के सभी मामले सी डी आर कक्ष को भेजे जायेंगे। अग्रणी संस्था /कंपनी के प्रमुख हितधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर प्रारंभिक पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार करें और एक महीने के भीतर सी डी आर कक्ष को प्रस्तुत करें। सीडीआर कक्ष सीडीआर स्थायी मंच द्वारा अनुमोदित सामान्य नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार करेगा तथा निर्णय के लिए 30 दिन के भीतर अधिकारप्राप्त समूह के समक्ष विचारार्थ रखेगा। अधिकारप्राप्त समूह उसे अनुमोदित कर सकता है या संशोधन का सुझाव दे सकता है, परंतु यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतिम निर्णय 90 दिन की कुल अवधि के भीतर ले लिया जाना चाहिए। तथापि, पर्याप्त कारण होने पर, यह अवधि सीडीआर कक्ष को मामला प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 180 दिन तक बढ़ायी जा सकती है ।

ग) कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन स्थायी मंच, कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन कक्ष का कार्यस्थल प्रारंभ में आइडीबीआइ लि. में होगा और उसके बाद यदि आवश्यक समझा जाए तो स्थायी मंच द्वारा निर्णय किये गये स्थान पर अंतरित किया जा सकेगा ।

प्रशासनिक तथा अन्य लागतों में सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की हिस्सेदारी होगी। हिस्सेदारी का स्वरूप स्थायी मंच द्वारा तय किये गये रूप में होगा ।

घ) सीडीआर कक्ष के लिए पर्याप्त स्टाफ-सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। सीडीआर कक्ष बाहर के व्यावसायिकों की सहायता भी ले सकता है। सीडीआर कक्ष सहित कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन तंत्र के परि ालन की लागत की पूर्ति मुख्य समूह (कोर ग्रुप) में रहने वाली वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से प्रत्येक द्वारा 50 लाख रुपये की दर से तथा अन्य संस्थाओं और बैंकों से प्रत्येक द्वारा 5 लाख रुपये की दर से अंशदान द्वारा की जायेगी ।

घ. <u>अन्य विशेषताएं</u>

i. <u>पात्रता मानदंड</u>

क) यह योजना उन खातों पर लागू नहीं होगी, जिनमें केवल एक वित्तीय संस्था या एक बैंक शामिल है। कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन तंत्र में बैंकों और संस्थाओं द्वारा दिये गये 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के निधि आधारित और गैर निधि आधारित बकाया ऋण आदि जोखिम वाले कंपनी उधारकर्ताओं के बहुविध बैंकिंग खाते/समूहन/सहायता संघीय खाते शामिल होंगे।

ख) श्रेणी 1 सीडीआर प्रणाली केवल उन्हीं खातों पर लागू होगी ि जन्हें 'मानक' और 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां किसी बैंक द्वारा ऋण का एक छोटा भाग ही संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। इस स्थिति में, यदि खाते को कम-से-कम 90 प्रतिशत ऋणदाताओं की बहियों में (मूल्य के अनुसार) 'मानक'/ 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो तो उसे 10 प्रतिशत शेष ऋणदाताओं की बहियों में सी डी आर के लिए पात्र के रूप में खाते का निर्णय करने के प्रयोजन के लिए ही मानक /अवमानक के रूप में माना जायेगा । सीडीआर प्रणाली को भेजने के पूर्व किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए खाते/कंपनी को रुग्ण, अनर्जक आस्ति होने या चूक वाली होने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु अनर्जक आस्ति के अर्थक्षम संभाव्य मामलों को प्राथमिकता मिलेगी। इस दृष्टिकोण से आवश्यक लचीलापन मिलेगा और ऋण पुनर्व्यवस्थापन के लिए समय पर हस्तक्षेप किया जा सकेगा । कोई मील का पत्थर निर्दिष्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऋण पुनर्व्यवस्थापन करने का कार्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा या उनकी सहमति से किया जा रहा है ।

ग) जब कि किसी भी बैंक में धोखाधड़ी और कदाचार में लिप्त कार्पोरेटों को सीडीआर तंत्र के अंतर्गत पुनर्व्यवस्थापन के लिए अब तक की तरह अपात्र माना जाता रहेगा, प्रमुख समूह, जानबूझकर चूककरनेवालों को वर्गीकृत करने के कारणों की समीक्षा कर सकता है विशेषकर पुराने मामलों में जहां जानबूझकर चूककरने वाले के रूप में एक उधारकर्ता का वर्गीकरण करना पारदर्शी नहीं था तथा इस बात से स्वयं को संतुष्ट कर लेगा कि उधारकर्ता जानबूझकर उधार करने वाली स्थिति को सुधारने की स्थिति में है, बशर्ते सीडीआर तंत्र के अंतर्गत उसे एक अवसर दिया जाए। ऐसे अपवाद स्वरूप मामले सिर्फ प्रमुख समूह के अनुमोदन से ही पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। प्रमुख समूह यह

सुनिश्चित करे कि धोखाधड़ी या निधि के नाजायज इरादे के लिए विपथन के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ) ऐसे खाते जहां ऋणदाता द्वारा कंपनी के खिलाफ वसूली मुकदमा दायर किया गया है, कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली के अंतर्गत विचार किये जाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली के अंतर्गत मामले को निपटाने के लिए ऋणदाताओं के कम से कम 75 प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) और ऋणदाताओं के 60 प्रतिशत (संख्या के अनुसार) द्वारा कार्रवाई करने का निर्णय लिया हो।

ङ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के मामले कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली के अंतर्गत पुनर्व्यवस्थापन के लिए पात्र नहीं हैं। किंतु उक्त बोर्ड के उच्च मूल्य के मामले उस स्थिति में कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली के अंतर्गत पुनर्व्यवस्थापन के पात्र होंगे जब कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन मुख्य समूह द्वारा विशेष रूप से उनकी सिफारिश की गयी हो। मुख्य समूह अपवादस्वरूप बीआइएफआर के मामलों की कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली के अंतर्गत विचार किये जाने के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर सिफारिश करेगा । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऋण देनेवाली संस्थाएं पैकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के पहले बी आइ एफ आर से अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करती हैं ।

ii. <u>कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली को मामला भेजना</u>

क) कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन तंत्र को मामला निम्नलिखित द्वारा भेजा जा सकता है - (i) किसी एक या अधिक ऐसे जमानती ऋणदाता द्वारा जिसका कार्यकारी पूंजी या मीयादी वित्त में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंश है या (ii) संबंधित कंपनी द्वारा, यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा समर्थित हो जिसका उपर्युक्त (i) में दिये गये अनुसार हित हो ।

ख) हालांकि लचीलापन उपलब्ध है, जिसके द्वारा ऋणदाता कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली की परिधि के बाहर पुनर्व्यवस्थापन पर विचार कर सकते हैं अथवा जहां आवश्यक हो, वहां कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं, फिर भी बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को ऐसे सभी पात्र मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनमें वित्तीय प्रणाली का ऋण आदि जोखिम 100 करोड़ रुपये से अधिक है तथा इस बारे में निर्णय करना चाहिए कि मामला कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली को भेजा जाए या नये वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई की जाये या ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदि के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जाये ।

iii. <u>कानूनी आधार</u>

क) सीडीआर प्रक्रिया एक गैर-सांविधिक प्रक्रिया होगी जो ऋणकर्ता - ऋणदाता करार (डीसीए) और अंतर -ऋणदाता करार (आइसीए) पर आधारित स्वैच्छिक प्रणाली होगी। कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन तंत्र के लिए कानूनी आधार ऋणकर्ता - ऋणदाता करार (डीसीए) और अंतर-ऋणदाता

करार द्वारा प्रदान किया जायेगा। ऋणकर्ता को या तो मूल ऋण के दस्तावेज तैयार करते समय (भविष्य के मामलों के लिए) अथवा कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्थापन कक्ष को मामला भेजते समय ऋणकर्ता -

ऋणदाता करार को स्वीकार करना होगा। इसी तरह, स्थायी मंच की अपनी सदस्यता के माध्यम से सीडीआर तंत्र के सभी सहभागियों को, आवश्यक प्रवर्तन और दंडात्मक शर्तों सहित, निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रणाली को परिचालित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी करार करना होगा। ऋणदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित आइसीए प्रारंभ में 3 वर्ष के लिए वैध होगा, जिसे उसके बाद और 3 वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा । विदेशी मुद्रा में देश से बाहर ऋण प्रदान करनेवाले ऋणदाता सीडीआर प्रणाली में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे ऋणदाता और जीआइसी, एलआइसी, यूटीआइ आदि ऋणदाता जो सीडीआर प्रणाली में शामिल नहीं हुए हैं, किसी कार्पोरेट विशेष की सीडीआर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए उन्हें कार्पोरेट से संबंधित ऋण आदि जोखिम के लिए लेनदेन-वार आइसीए पर हस्ताक्षर करना होगा ।

ख) अंतर-ऋणदाता करार अपेक्षित प्रवर्तन और दंडात्मक शर्तों के साथ ऋणदाताओं के बीच कानूनी बाध्यता का करार होगा, जिसमें ऋणदाताओं को सी डी आर तंत्र के विभिन्न तत्वों का पालन करने का उन्हें वचन देना होगा। साथ ही, ऋणदाताओं को इससे सहमत होना पड़ेगा कि यदि मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाता वर्तमान ऋण (अर्थात् बकाया ऋण) के पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के लिए सहमत होते हैं, तो वही शेष ऋणदाताओं पर भी बाध्यकारी होगा। चूंकि सीडीआर योजना के वर्ग 1 में मानक और अवमानक खाते ही आते हैं जिनके संबंध में मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाताओं के विचार में सीडीआर पैकेज लागू होने के बाद ये निष्पादक हो सकते हैं, अतः यह अपेक्षा की जाती है कि अन्य सभी ऋणदाता (अर्थात् न्यूनतम मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत से भिन्न) सहमत अतिरिक्त वित्तपोषण सहित समग्र सीडीआर पैकेज में शामिल होने के इच्छुक होंगे।

<u>अन्य पक्ष</u>

ग) सीडीआर तंत्र का प्रभाव बढ़ाने के लिए सहायता संघ/समूहन खातों के ऋण करारों में एक खंड जोड़ा जा सकता है, जिससे उन ऋणदाताओं सहित जो सीडीआर तंत्र के सदस्य नहीं हैं, सभी ऋणदाता इस बात के लिए सहमति दें कि वे पुनर्व्यवस्थापन आवश्यकता पड़ने पर सीडीआर तंत्र के अंतर्गत अनुमोदित पुनर्व्यवस्थापन पैकेज की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

iv. <u>ठहराव खंड</u>

क) ऋणकर्ता-ऋणदाता करार का एक महत्वपूर्ण तत्व दोनों ओर से 90 दिन या 180 दिनों के लिए बाध्यकारी 'ठहराव' करार होगा । इस खंड के अंतर्गत, ऋणकर्ता और ऋणदाता (ऋणदाताओं) दोनों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी 'ठहराव' के लिए सहमत होना पड़ेगा, जिससे दोनों पार्टियों को 'ठहराव' अवधि के दौरान किसी अन्य कानूनी कार्रवाई का सहारा न लेने का वचन देना होगा, ताकि न्यायिक अथवा अन्य किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना आवश्यक ऋण पुनर्व्यवस्थापन करने के लिए सीडीआर तंत्र

आवश्यक कदम उठा सके। परंतु ठहराव खंड ऋणकर्ता अथवा ऋणदाता द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध सिविल कार्रवाई के लिए लागू होगा, न कि किसी आपराधिक कार्रवाई के लिए। इसके अतिरिक्त, ठहराव

की अवधि के दौरान बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं (फॉरवर्ड कंट्रेक्ट्स), डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आदि को निश्चित रूप (क्रिस्टेलाइजेशन) दिया जा सकता है, बशर्ते कि उधारकर्ता ऐसा करने के लिए सहमत हो । ऋणकर्ता यह अतिरिक्त वचन भी देगा कि ठहराव की अवधि के दौरान परिसीमन (लिमिटेशन) के प्रयोजन के लिए दस्तावेज की परिसीमन अवधि विस्तारित हुई मानी जायेगी और यह भी कि वह राहत के लिए किसी अन्य प्राधिकारी के पास नहीं जायेगा और ऋणकर्ता कंपनी के निदेशक यथास्थिति की इस अवधि के दौरान निदेशक मंडल से इस्तीफा नहीं देंगे ।

ख) सीडीआर प्रणाली के अधीन मामला लंि ात रहने तक आस्ति वर्गीकरण के सामान्य मानदंड लागू होते रहेंगे। आस्ति के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया केवल इसलिए नहीं रुकनी चाहिए कि मामला सी डी आर कक्ष को भेजा गया है । अलबत्ता, सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत यदि पुनर्व्यवस्थापन को अधिकारप्राप्त समूह द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा अनुमोदित पैकेज अनुमोदन की तारीख से चार महीने के भीतर लागू हो जाता है, तब आस्ति वर्गीकरण की वही स्थिति रखी जाए जो मामला कक्ष को भेजे जाते समय विद्यमान थी। परिणामस्वरूप आस्ति वर्गीकरण की किसी बिगडी स्थिति के प्रति बैंकों द्वारा किए गए कोई भी अतिरिक्त प्रावधान सीडीआर प्रणाली के पास मामला लंबित रहने की अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित किये जा सकते हैं ।

ग) यदि अधिकारप्राप्त समूह द्वारा अनुमोदित पैकेज, अनुमोदन की तारीख से चार महीने के भीतर लागू नहीं हो जाता तो यह पैकेज की अनिश्चितता को दर्शाता है। उस परिस्थिति में, सीडीआर कक्ष को भेजे जाने की तारीख की स्थिति अनुसार खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को वापस नहीं किया जाना चाहिए।

v. <u>अतिरिक्त वित्त</u>

क) 'मानक' या 'अवमानक' खाते के सभी ऋणदाताओं द्वारा समानुपातिक आधार पर अतिरिक्त वित्त, यदि कोई हो, प्रदान करना होगा चाहे वे कार्यशील पूंजी ऋणदाता हों या सांवधिक ऋणदाता। किसी आंतरिक कारण से कोई भी ऋणदाता (न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से बाहर) अतिरिक्त वित्तपोषण नहीं करना चाहता, उस ऋणदाता को पैरा 4.2.15 (घ)(vi) के प्रावधानों के अनुसार एक विकल्प उपलब्ध होगा ।

ख) अतिरिक्त वित्त को पहले ब्याज /मूलधन, अनुमोदित पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के अंतर्गत जो भी पहले देय हो, के भुगतान के बाद एक वर्ष की अवधि तक 'मानक आस्ति' माना जाए। किंतु जिन खातों की वर्तमान सुविधाओं को 'अवमानक' और 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनके मामले में अतिरिक्त वित्त पर ब्याज आय को नकदी आधार पर ही तय किया जाए। यदि पुनर्व्यवस्थापन की गई आस्ति उपर्युक्त विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि में उन्नयन के लिए पात्र नहीं होती तो पुनर्व्यवस्थापन ऋण के रूप में उसी आस्ति वर्गीकरण में अतिरिक्त वित्त रखा जाएगा।

ग) अतिरिक्त वित्त प्रदान करने वालों को चाहे वे वर्तमान ऋणदाता हों या नए ऋणदाता अतिरिक्त ऋण आदि जोखिम के संबंध में, वसूलियों के कारण होनेवाले नकदी प्रवाह के विषय में वर्तमान वित्त प्रदाताओं से अधिक, पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के अंतर्गत निर्धारित किया जानेवाला वसूलियों के कारण होनेवाले नकदी प्रवाह के विषय में अधिमान दावा प्राप्त होगा ।

vi. <u>प्रणाली से बाहर होने का विकल्प</u>

क) जैसा कि पैराग्राफ 4.2.16 (घ) (v)(क) में उल्लेख किया गया है, किसी भी ऋणदाता (न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से बाहर)जो किसी आंतरिक कारण से वित्त नहीं लगाना चाहता के लिए एक विकल्प है। साथ ही, "फ्री राइडर" समस्या से बचने के लिए इस विकल्प को अपनाने के इच्छुक ऋणदाता के लिए कुछ निरुत्साहक कार्रवाई करना जरूरी है। ऐसे ऋणदाता चाहे तो (क) नए या वर्तमान ऋणदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त वित्त में से अपने शेयर (हिस्से) की व्यवस्था करे या (ख) सीडीआर पैकेज प्रभावी हो जाने के बाद, प्रथम वर्ष के देय ब्याज को आस्थगित करने के लिए सहमत हो। ऊपर उल्लिखित आस्थगित प्रथम वर्ष का ब्याज, बिना चक्रवृद्धि ब्याज के, ऋणदाता को देय मूलधन की अंतिम किस्त के साथ अदा करना होगा।

ख) इसके अतिरिक्त, प्रणाली से बाहर होने का विकल्प भी न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के अंतर्गत सभी ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगा बशर्ते खरीदार, अधिकारप्राप्त समूह द्वारा अनुमोदित पुनर्व्यवस्थापन पैकेज का पालन करने के लिए सहमत हो। वर्तमान ऋणदाताओं को उधारकार्ता को उनके विद्यमान ऋण आदि जोखिम के स्तर पर रहने दिया जाए बशर्ते वे वर्तमान ऋणदाताओं के साथ या अतिरिक्त वित्त के अपने अंश को वहन करनेवाले नए ऋणदाताओं के साथ गठजोड़ करे।

ग) पैकेज से बाहर जाने की इच्छा रखने वाले ऋणदाताओं को एक विकल्प है कि वे अपने विद्यमान शेयर, वर्तमान ऋणदाताओं या नए ऋणदाताओं को एक उचित मूल्य पर बेच सकते हैं, जो वर्तमान ऋणदाता और भारग्रहण करनेवाले नए ऋणदाता के बीच आपसी समझौते से तय किया जाएगा। नए ऋणदाताओं को चुकौती और प्राप्य राशि की सर्विसिंग के लिए समान स्थान पर रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने वर्तमान ऋणदाता से विद्यमान प्राप्य राशि खरीदी है ।

घ) प्रणाली से बाहर जाने के विकल्प को अधिक लचीला बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के एक हिस्से के तौर पर जहां आवश्यक हो वहां 'एक मुश्त निपटान' करने पर भी विचार किया जा सकता है। यदि उधारकर्ता द्वारा किसी ऋणदाता के किसी खाते को सीडीआर तंत्र में भेजने से पहले 'एक मुश्त निपटान' के अधीन कर दिया जाता है, तो पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के अंतर्गत ऐसे किसी भी 'एक मुश्त निपटान'की पूरित प्रतिबद्धता को नहीं उलटा जाए । ऐसे 'एक मुश्त निपटान' से निकलने वाली आगे की भुगतान प्रतिद्धताओं को पुनर्व्यवस्थापन पैकेज में फैक्टर किया जाएगा।

vii. <u>परिवर्तन का विकल्प</u>

क) सीडीआर अधिकारप्राप्त समूह को पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के संबंध में निर्णय लेते समय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षा (बैंकों के मामले में) और सेबी के संबंधित विनियमों को ध्यान में रखते हुए पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के एक भाग के रूप में परिवर्तनीयता (ईक्विटी में) के बारे में भी निर्णय करना चाहिए, जिससे कि बैंक/वित्तीय संस्थाओं को पुनर्व्यवस्थित राशि के एक हिस्से का ईक्विटी में परिवर्तन करने के लिए अधिकार हो ।

ख) सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत ऋण /अतिदेय ब्याज के परिवर्तन द्वारा अर्जित ईक्विटी भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमति के बिना स्वीकार करने की इजाजत दी गई है भले ही ऐसे अर्जन से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण पूंजी बाजार ऋण आदि जोखिम (एक्सपोज़र) की सीमा भंग होती हो, परंतु शर्त यह होगी कि आस्ति गुणवत्ता पर नियमित डीएसबी विवरण के साथ प्रत्येक महीने भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) को ऐसी धारिता की सूचना दी जाए । तथापि, बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

ग) सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों से इतर प्रतिभूतियों के ऋण परिवर्तन के माध्यम से अर्जन को अधिदेशात्मक रेटिंग की अपेक्षा से और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सूचीबद्ध न की गई, सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों से इतर प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी विवेकपूर्ण सीमा से, पूर्वोक्त डीएसबी विवरणी में भारतीय रिज़र्व बैंक को आवधिक सूचना देने के अधीन, छूट दी गई है।

घ) पैरा 4.2.16 घ (vii) (ख) और (ग) के अंतर्गत अनुमत छूट की एक वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी।

viii. <u>श्रेणी 2 सीडीआर प्रणाली</u>

क) ऐसे मामले भी हुए हैं जहां परियोजना को ऋणदाताओं द्वारा संभाव्यता वाली परियोजना के रूप में माना गया, परंतु खातों को सी डी आर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्व्यवस्थापन के लिए इसलिए नहीं लिया जा सका कि वे 'संदिग्ध' की श्रेणी में आते थे। अतः सीडीआर की दूसरी श्रेणी का ऐसे मामलों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रारंभ किया गया जहां खातों को ऋणदाता द्वारा बहियों में 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऋणदाताओं का न्यूनतम 75 प्रतिशत (मूल्य के आधार पर) और 60 प्रतिशत (संख्या के आधार पर) खातों की संभाव्यता से संतुष्ट होकर ऐसे पुनर्व्यवस्थापन के लिए सहमत हों :

i) ऋण पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के अंतर्गत ऋणदाता के लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि वह पैकेज द्वारा निर्धारित अतिरिक्त वित्तपोषण को स्वीकार करे और ऋण देने अथवा न देने का निर्णय प्रत्येक ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्था पर अलग से निर्भर होगा । दूसरे शब्दों में, सीडीआर तंत्र के प्रस्तावित केवल विद्यमान ऋण ही पुनर्व्यवस्थापित किया

जायेगा और यह प्रायोजक पर निर्भर है कि अतिरिक्त वित्तपोषण की व्यवस्था विद्यमान ऋणदाताओं से की जाये अथवा नये ऋणदाताओं से।

ii) सीडीआर प्रक्रिया संबंधी अन्य सभी मानदंड, जैसे कि ठहराव खंड, सीडीआर के अंतर्गत पुनर्व्यवस्थापन लंबित रहने की अवधि के दौरान आस्ति वर्गीकरण की स्थिति आदि इस श्रेणी के लिए भी लागू होते रहेंगे ।

ख) कोई एकल मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को न भेजा जाए। सीडीआर कोर समूह यह निर्णय ले सकता है कि कोई विशिष्ट मामला सीडीआर दिशा-निर्देशों के अधीन आता है अथवा नहीं ।

ग) सीडीआर प्रणाली की अन्य सभी विशिष्टताएं जो प्रथम श्रेणी के लिए प्रयोज्य हैं, वे सभी दूसरी श्रेणी के अंतर्गत पुनर्व्यवस्थापित मामलों के लिए भी लागू होंगी।

ङ <u>ऋणदाताओं के अधिकार</u>

सीडीआर अनुमत सभी पैकेजों में त्वरित गति से चुकौती करने के ऋणदाताओं के अधिकार और समय से पहले भुगतान करने के उधारकर्ताओं के अधिकार को शामिल करना चाहिए। प्रतिपूर्ति अधिकार स्थायी मंच द्वारा निर्धारित किये जाने वाले विशिष्ट कार्यनिष्पादन मानदंडों पर आधारित होने चाहिए।

च. <u>विवेकपूर्ण तथा लेखा प्रणाली संबंधी मामले</u>

i. सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत कंपनी ऋणों का पुनर्विन्यास निम्नलिखित चरणों में हो सकता है :

क. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के पहले;

ख. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद, परन्तु आस्ति को अवमानक के रूप में वर्गीकृत किये जाने से पूर्व;

ग. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने तथा आस्ति को 'अवमानक' अथवा 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किये जाने के बाद ।

ii. श्रेणी 2 के अंतर्गत 'संदिग्ध' के रूप में श्रेणीबद्ध खातों सहित सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्विन्यास किए गए खाते आस्ति वर्गीकरण में विनियामक रियायत और नीचे पैरा 4.2.16 च (iii) (ख) और 4.2.16 च (v) (ख) में निर्दिष्ट आर्थिक त्याग के लिए बट्टे खाते डालने /प्रावधान के संबंध में प्रावधानीकरण के लिए केवल तब पात्र होंगे जब

क) सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्विन्यास पहली बार किया गया हो,

ख) यूनिट 7 वर्ष में अर्थक्षम होती हो और पुनर्विन्यास ऋण के लिए चुकौती अवधि 10 वर्ष से अधिक न होती हो,

ग) प्रवर्तकों का त्याग और उनके द्वारा लायी गयी अतिरिक्त निधि ऋणदाताओं के त्याग के न्यूनतम 15 प्रतिशत होनी चाहिए और

घ) अर्थव्यवस्था और उद्योग से संबंधित बाह्य तत्वों द्वारा यूनिट के प्रभावित होने की स्थिति को छोड़कर प्रायोजक द्वारा वैयक्तिक गारंटी दी गयी हो।

iii. <u>सीडीआर के अंतर्गत पुनर्विन्यास किये गये 'मानक' खातों का व्यवहार</u>

क. उपर्युक्त पहले दो चरणों में से किसी चरण पर (उक्त पैराग्राफ 4.2.16 च (i) (क) और (ख)) केवल मूलधन की किस्तों का पुनर्विन्यास किया जाना किसी मानक आस्ति को अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत करने का कारण नहीं होगा, बशर्ते पैरा 4.2.16 च (ii) की (i) से (iv) शर्तों का अनुपालन किया गया हो और उधार / ऋण सुविधा पूर्णतः जमानती हो ।

ख. पूर्ववर्ती पहले दो चरणों में से किसी चरण पर ब्याज के तत्व का पुनर्विन्यास किये जाने के कारण किसी आस्ति का स्तर घटाकर अवमानक श्रेणी में नहीं लाया जायेगा, बशर्ते पैरा 4.2.16 च (ii) की (i) से (iv) शर्तों का अनुपालन किया गया हो तथा ब्याज के तत्व में वर्तमान मूल्य की दृष्टि से मापी गयी त्याग की राशि, यदि कोई हो, को बट्टे खाते डाले जाने पर/उसमें शामिल त्याग की राशि के लिए प्रावधान किये जाने पर आस्ति को श्रेणी कम कर अवमानक श्रेणी में न रखा जाये । इस प्रयोजन के लिए, पुनर्विन्यास की तारीख को चालू बीपीएलआर पर आधारित निकाले गये भावी ब्याज आय का वर्तमान मूल्य + उपयुक्त सावधि प्रीमियम और पुनर्विन्यास तारीख को ऋणकर्ता श्रेणी के लिए उपयुक्त ऋण जोखिम प्रीमियम और पुनर्विन्यास तारीख के चालू बीपीएलआर से बट्टे खाते डाला गया पुनर्विन्यास पैकेज के अनुसार लगाया गया ब्याज और पुनर्विन्यास तारीख को ऋण जोखिम प्रीमियम के बीच अंतर के रूप में त्याग की राशि की गणना की जानी चाहिए।

iv) <u>पुनर्विन्यास के अंतर्गत अधिस्थगन</u>

उत्पादन शुरू करने से पूर्व पुनर्विन्यास हेतु यदि किसी मानक आस्ति को स्वीकृत किया गया हो और पुनर्विन्यास पैकेज मूल अधिस्थगन अवधि की तुलना में वाणिज्य उत्पादन की अपेक्षित तारीख/वाणिज्य उत्पादन की तारीख से अधिक आगे ब्याज की अदायगी पर दीर्घ अधिस्थगन अवधि का प्रावधान करता हो तो उस आस्ति को मानक आस्ति के रूप में अब नहीं माना जाएगा। अतः इसे अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाय। यदि उत्पादन शुरू करने के बाद पुनर्विन्यास के लिए किसी मानक आस्ति को स्वीकार किया गया हो और पुनर्विन्यास पैकेज मूल अधिस्थगन अवधि से अधिक दीर्घ अवधि का प्रावधान ब्याज अदायगी के संबंध में करता हो तो यही विनियामक व्यवहार लागू होंगे।

v. <u>सीडीआर के अंतर्गत पुनर्विन्यास किये गये 'अवमानक'/'संदिग्ध' खातों का व्यवहार</u>

क. केवल मूलधन की किस्तों का पुनर्विन्यास किया जाना, अवमानक/'संदिग्ध' आस्ति के अवमानक /संदिग्ध श्रेणी में निर्दिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित उप पैरा (ख) में परिभाषित के लिए जारी रखने के लिए तब पात्र होगा जब पैरा 4.2.16 च (ii) के (i) से (iv)तक की शर्तों का अनुपालन किया गया हो और उधार /ऋण सुविधा पूरी तरह जमानती हो।

ख. ब्याज तत्व का पुनर्विन्यास किया जाना किसी अवमानक /'संदिग्ध' आस्ति के निर्दिष्ट अवधि, अर्थात् ब्याज अथवा मूलधन की प्रथम अदायगी की तारीख, पुनर्निर्धारित शर्तों के अंतर्गत जो भी पहले देय होता हो, के बाद एक वर्ष की अवधि, के लिए अवमानक /'संदिग्ध' श्रेणी में वर्गीकृत रूप में ही जारी रखने के लिए इस शर्त पर पात्र होगा कि पैरा 4.2.16 च (ii) की (क) से (घ) तक की शर्तों का अनुपालन किया गया हो और पैरा 4.2.16 च (iii) (ख) में वर्णित प्रणाली के अनुसार गणना की गयी वर्तमान दृष्टि से मापे गये ब्याज तत्व में त्याग की राशि, यदि कोई हो, बट्टे खाते डाल दी जाये या शामिल त्याग की राशि के बराबर प्रावधान किया जाये।

vi. <u>प्रावधान के संबंध में व्यवहार</u>

क) ब्याज की राशि में निहित ब्याज त्याग की राशि को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए जिसका प्रावधान लाभ-हानि लेखा में नामे डाल कर अनिवार्यतः किया गया हो और एक अलग खाते में धारित किया गया हो।

ख) सभी दायित्वों की चुकौती तथा खाते में बकाया राशि की संपूर्ण चुकौती संतोषजनक रूप से पूरी होने तक प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख की त्याग राशि की पुनर्गणना की जाय जिससे बीपीएलआर, सावधि प्रीमियम और उधारकर्ता की ऋण श्रेणी में परिवर्तनों के कारण हुए परिवर्तनों को उचित मूल्य में लिया जा सके । परिणामतः बैंक प्रावधान में कमी के लिए प्रावधान करें अथवा भिन्न खातों में धारित अतिरिक्त प्रावधान राशि का प्रत्यावर्तन करें।

ग) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को तब प्रत्यावर्तित किया जाय जब उस खाते का पुनर्वगीकरण 'मानक आस्ति' के रूप में किया गया हो।

घ) ब्याज त्याग की राशि पर किसी भी प्रतिभूति को स्वीकार किए जाने पर इसका मूल्यन प्रतिभूति की अवधिपूर्णता तक 1/- रुपये की दर से किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लाभ-हानि लेखे में आर्थिक त्याग चार्ज ऑफ करने का प्रभाव व्यर्थ होगा।

vii. <u>पुनर्विन्यास किए गए खातों का कोटि उन्नयन</u>

उपर्युक्त पैरा 4.2.16 च (v) (क) और (ख) में अवमानक /'संदिग्ध' खाते, जो पुनर्विन्यास आदि के अधीन हैं वे चाहे मूलधन या किस्तों के संबंध में हो या ब्याज राशि के तथा किसी भी प्रणाली से हों वे केवल विशिष्ट अवधि अर्थात् ब्याज अथवा मूलधन की प्रथम अदायगी की तारीख, पुनर्निर्धारण शर्तों के अंतर्गत जो भी पहले देय होता हो, के बाद एक वर्ष की अवधि के बाद मानक श्रेणी में उन्नयन हेतु पात्र होगे बशर्ते अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन संतोषजनक हो।

viii. <u>पुनर्विन्यास किए गए खातों की आस्ति वर्गीकरण स्थिति</u>

विनिर्दिष्ट एक वर्ष अवधि के दौरान अवमानक /संदिग्ध स्थिति वाले खातों के आस्ति वर्गीकरण में गिरावट नहीं आयेगी यदि उस विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उस खाते का संतोषजनक कार्यनिष्पादन दर्शाया गया हो। तथापि, यदि विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन परिलक्षित नहीं हो तो पुनर्विन्यास किये गये खाते का आस्ति वर्गीकरण पुनर्विन्यास पूर्व भुगतान अनुसूची के संदर्भ में लागू

विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार नियंत्रित होगा। आस्ति वर्गीकरण प्रत्येक बैंक/वित्तीय संस्था की वसूली रिकार्ड पर आधारित बैंक विशेष के संदर्भ में होगा।

ix. <u>परिवर्तन पर विवेकपूर्ण मानदंड</u>

क) जहां अतिदेय ब्याज का निधियन किया गया हो अथवा बकाया मूलधन और ब्याज घटकों को ईक्विटी, डिबेंचरों, शून्य कूपन बांड या अन्य लिखतों में परिवर्तित किया गया हो और इसके परिणामस्वरूप आय की पहचान की गयी हो तो ऐसी पहचान की गयी आय की राशि के लिए प्रावधान पूर्ण किया जाना चाहिए। बकाया मूलधन और/अथवा ब्याज के परिवर्तन के रूप में अर्जित ईक्विटी, डिबेंचरों और अन्य वित्तीय लिखतों को एएफएस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और बैंकों के निवेश संविभाग पर मूल्यन पर वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मूल्यन किया जाना चाहिए जो इस सीमा तक छोड़कर हो कि (क) यदि कोट किया गया हो तो ईक्विटी का मूल्यन बाजार मूल्य के अनुसार किया जाय (ख) ऐसे मामलों में जहां ईक्विटी कोट न की गयी हो तो मूल्यन मानक आस्तियों के संबंध में विश्लेषित मूल्य पर किया जाय और अवमानक/ संदिग्ध आस्तियों के संबंध मे ंप्रारंभ में ईक्विटी का मूल्यन 1/- रुपये की दर से और मानक श्रेणी पर प्रत्यावर्तन /कोटि उन्नयन के बाद विश्लेषित मूल्य की दर से किया जाय।

ख) यदि ईक्विटी में ब्याज का परिवर्तन हो, जो कोट किया गया है, तो ईक्विटी के बाजार मूल्य पर मानक श्रेणी में खाते का उन्नयन करने पर ब्याज आय को स्वीकार किया जा सकता है, जो ऐसे कोटि उन्नयन की तारीख को ईक्विटी में परिवर्तित ब्याज की राशि से अधिक न हो । यदि ब्याज का ऐसी ईक्विटी में परिवर्तन हुआ हो, जो कोट न की गयी हो, तो ब्याज आय को स्वीकार न किया जाय।

ग) मूलधन और /अथवा ब्याज के ईक्विटी, डिबेंचरों, बांडों आदि में परिवर्तन के मामले में ऐसे लिखतों को शुरू से ऋण के रूप में उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में अनर्जक आस्तियों के रूप में माना जाय। यदि पुनर्विन्यास पैकेज के कार्यान्वयन पर ऋण का वर्गीकरण अवमानक अथवा संदिग्ध हो, मानंदडों के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए। परिणामतः इन लिखतों पर आय को केवल वसूली के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए। डिबेंचरों में अथवा किसी भी सावधि परिपक्वता वाले लिखतों में परिवर्तित किये गये तथा वसूल न हुए ब्याज के संबंध में आय को ऐसे लिखतों के मोचन पर ही स्वीकार किया जाएगा।

घ) उपचित ब्याज के ईक्विटी, बांडों, डिबेंचरों आदि में परिवर्तन के समय जब ये लिखत मूल्य / अवधिपूर्णता की बिक्री /वसूली होने पर तुलन पत्र के बाहर हो जाते हैं तब बैंक स्वीकृत आय पर किए गए प्रावधानों का प्रत्यावर्तन करें।

छ. <u>बार-बार पुनर्विन्यास किए गए खातों का आस्ति वर्गीकरण</u>

यदि खातों का दो या अधिक बार पुनर्विन्यास किया गया हो, तो पैरा 4.2.16 च (iii) और 4.2.16 च (v) के अंतर्गत विनियामक रियायत उपलब्ध नहीं होगी । यदि पुनर्विन्यास की गयी कोई आस्ति, जो पुनर्विन्यास के बाद

मानक आस्ति हुई है तथा जो बाद के अवसर पर पुनर्विन्यास के अधीन है, तो उसे मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यदि पुनर्विन्यास की गयी आस्ति अवमानक अथवा संदिग्ध आस्ति है और पुनर्विन्यास के अधीन है तो बाद के अवसर पर इसका आस्ति वर्गीकरण पिछले अवसर पर जब यह अनर्जक आस्ति बनी थी उस तारीख से गणना की जाएगी। तथापि, दूसरी अथवा उससे अधिक बार के लिए ऐसी आस्तियों के पुनर्विन्यास की मानक श्रेणी पर उन्नयन करने की अनुमति ब्याज की प्रथम अदायगी अथवा मूलधन की चुकौती की तारीख, वर्तमान पुनर्विन्यास पैकेज के अंतर्गत जो भी पहले देय होता हो, से एक वर्ष के बाद संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन दी जाए।

ज. <u>प्रकटीकरण</u>

बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को अपने प्रकाशित वार्षिक तुलन पत्रों में "लेखों पर टिप्पणियां" के अंतर्गत वर्ष के दौरान किए गए कार्पोरेट ऋण पुनर्विन्यास के संबंध में निम्नलिखित जानकारी भी देनी चाहिए ।

क. खातों की कुल संख्या, ऋण आस्तियों की कुल राशि और सीडीआर के अंतर्गत पुनर्विन्यास मामलों में त्याग की राशि ।

[(क) = (ख) +(ग) + (घ)]

ख. सीडीआर के अधीन मानक आस्तियों की संख्या, राशि और त्याग की राशि।

ग. सीडीआर के अधीन अवमानक आस्तियों की संख्या, राशि और त्याग की राशि ।

घ. सीडीआर के अधीन संदिग्ध आस्तियों की संख्या, राशि और त्याग की राशि ।

4.2.17 <u>छोटे तथा मझौले उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण - पुनर्व्यवस्थापन प्रणाली</u>

क. <u>पात्रता मानदंड</u>

i. ये दिशानिर्देश निम्नलिखित संस्थाओं, जो सक्षम अथवा संभाव्य रूप से सक्षम हैं, को लागू होंगेः

क) सभी गैर-कार्पोरेट एसएमई चाहे बैंकों को देय राशि का स्तर कुछ भी हो।

ख) किसी एक बैंक से बैंकिंग सुविधाएँ प्राप्त करने वाले सभी कार्पोरेट एसएमई चाहे बैंक को देय राशि का स्तर कुछ भी हो।

ग) एकाधिक /संघीय सहायता की बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये तक निधिक या गैर - निधिक बकाया वाले सभी कार्पोरेट एसएमई ।

ii. इरादतन चूक करनेवाले, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार में शामिल खाते इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पुनर्निर्धारण के लिए पात्र नहीं होंगे । तथापि बैंक उधारकर्ता के इरादतन चूककर्ता होने संबंधी वर्गीकरण करने के कारणों की समीक्षा कर सकते हैं, विशेषकर उन पुराने मामलों में जहां इरादतन चूककर्ता के वर्गीकरण करने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी तथा बैंक यह संतुष्टि कर लें कि उधारकर्ता को एसएमई के लिए ऋण पुनर्व्यवस्थापन तंत्र के अंतर्गत एक मौका दिए जाने पर उधारकर्ता इरादतन चूककर्ता की

अपनी स्थिति को सुधार लेंगे। अपवाद स्वरूप ऐसे मामले सिर्फ बैंकों निदेशक मंडलों की अनुमति से ही पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्वीकृत किए जाए।

iii. बैंकों द्वारा "हानि आस्तियों" के तौर पर वर्गीकृत खाते पुनर्व्यवस्थापन करने के पात्र नहीं होंगे।

iv. बीआईएफआर मामलों के संबंध में बैंकों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पैकेज लागू करने से पहले बीआईएफआर से अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं।

ख. <u>अर्थक्षमता मानदंड</u>

बैंक निर्णय करें कि स्वीकृत अर्थक्षमता बेंचमार्क पर, लगातार रहकर 7 वर्षों में यूनिट अर्थक्षम बन जाएगी तथा पुनर्व्यवस्थापन ऋण की चुकौती अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ग. <u>पुनर्व्यवस्थापन खातों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड</u>

i. पुनर्व्यवस्थापन किए जानेवाले 'मानक' खातों का व्यवहार

क) सिर्फ मूलधन की किस्तों का पुनर्निर्धारण किसी मानक आस्ति को अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत करने का कारण नहीं होगा, बशर्ते उधारकर्ता का बकाया मूर्त प्रतिभूति से पूर्णतया कवर किया गया है। तथापि 5 लाख रुपये तक के बकाया वाले मामलों में मूर्त प्रतिभूति की शर्त लागू नहीं की जानी चाहिए क्योंकि लघु उद्योग /अत्यंत लघु क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक अपेक्षाएं हटा दी गई हैं।

ख) ब्याज के तत्व का पुनर्निर्धारण किसी आस्ति को अवमानक श्रेणी में रखने का कारण नहीं हेागा, बशर्ते त्याग की राशि यदि कोई हो, ब्याज के तत्व में वर्तमान मूल्य के अनुसार मापी जा रही हो तो, उसे या तो बट्टे खाते डाला जाए या शामिल त्याग के बराबर प्रावधान किया जाए।

ग) यदि, वर्तमान मूल्य के अनुसार ब्याज की राशि में त्याग शामिल है जैसा कि उपर्युक्त (ख) में है, तो त्याग की राशि या तो बट्टे खाते डाल दी जाए या शामिल त्याग के बराबर प्रावधान किया जाए ।

ii. <u>पुनर्व्यवस्थापन के लिए रखे गए 'अवमानक' /'संदिग्ध' खातों का व्यवहार</u>

क) मूलधन की किस्तों का पुनर्निर्धारण मात्र किसी 'अवमानक '/'संदिग्ध' आस्ति को एक विशेष अवधि (नीचे पैरा 4.2.17 ङ में यथा परिभाषित) तक 'अवमानक '/'संदिग्ध' श्रेणी में बने रहने का पात्र बना देती है, बशर्ते उधारकर्ता का बकाया मूर्त प्रतिभूति से पूरी तरह कवर कर दिया गया हो। तथापि उन मामलों में मूर्त प्रतिभूति की शर्त लागू नहीं की जाए जहां बकाया राशि 5 लाख रु रु रुपये तक है, क्योंकि लघु उद्योग क्षेत्र /अत्यंत लघु में ऋण की संपार्श्विक अपेक्षाएं 5 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए समाप्त कर दी गई हैं।

ख) किसी 'अवमानक '/'संदिग्ध' आस्ति के ब्याज तत्व का पुनर्निर्धारण होने से एक विशिष्ट अवधि तक उसे 'अवमानक '/'संदिग्ध' आस्ति के तौर पर वर्गीकृत किया जाता रहेगा बशर्ते ब्याज के तत्व में

यदि कोई त्याग की राशि हो तो वर्तमान मूल्य के अनुसार मापी गई हो, उसे या तो बट्टे खाते डाला गया हो या शामिल त्याग के अनुरूप प्रावधान किया गया हो।

ग) ऐसे मामलों में भी जहां पिछली ब्याज देयताओं के बट्टे खाते डालने से त्याग हुआ है, उन आस्तियों को 'अवमानक '/'संदिग्ध' माना जाता रहेगा।

iii. <u>प्रावधान का व्यवहार</u>

क) ब्याज त्याग के संबंध में किए गए प्रावधान को लाभ-हानि खाते में नामे के द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए तथा एक विशेष खाते में धारित करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, किसी खाते के संबंध में वर्तमान बीपीएलआर के अनुसार देय भविष्य के ब्याज को उधारकर्ता की जोखिम श्रेणी के उपयुक्त दर पर वर्तमान मूल्य पर मितीकाटे पर भुगतान किया जाना चाहिए (अर्थात् वर्तमान पीएलआर + उपयुक्त सावधि प्रीमियम तथा उधारकर्ता के लिए ऋण जोखिम प्रीमियम की श्रेणी) तथा पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के अंतर्गत, इसी आधार पर बट्टे में डाली गई प्राप्त होनेवाली अपेक्षित देयताओं के वर्तमान मूल्य के साथ तुलना की जानी चाहिए।

ख) चुकौती की सभी बाध्यताएँ संतोषजनक रूप में पूरी हो जाने तक तथा खाते में बकाया की पूरी चुकौती होने तक तुलन पत्र पर त्याग को पुनश्च संगणित करना चाहिए ताकि बीपीएलएलआर में परिवर्तन, सांवधिक प्रीमियम तथा उधारकर्ता की ऋण श्रेणी में होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जा सके। परिणामस्वरूप, बैंकों को प्रावधान में कमी के लिए प्रावधान करना चाहिए या विशिष्ट खातों में आवश्यकता से अधिक प्रावधान की राशि को प्रत्यावर्तित करना चाहिए।

ग) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को, खाते को 'मानक आस्ति' के रूप में पुनः वर्गीकृत किये जाने पर प्रत्यावर्तित कर देना चाहिए।

घ. <u>अतिरिक्त वित्त</u>

अनुमोदित पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के अंतर्गत सभी खातों जैसे मानक, अवमानक तथा संदिग्ध खातों में यदि कोई अतिरिक्त वित्त हो तो उसे मूलधन या ब्याज की पहली किस्त के भुगतान, दोनों में से जो भी पहले हो, की तारीख के एक वर्ष की अवधि तक "मानक आस्ति" माना जाए। यदि पुनर्व्यवस्थित आस्ति उपर्युक्त अवधि के अंत तक उन्नयन के लिए योग्य नहीं होती है, तो उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में पुनर्व्यवस्थित ऋण के तौर पर अतिरिक्त वित्त रखा जाएगा।

ङ . <u>पुनर्व्यवस्थित खातों का उन्नयन</u>

उपर्युक्त पैरा 4.2.16 (ग) (ii) (क) एवं (ख) में अवमानक /संदिग्ध खातों, जिन्हें चाहे मूलधन या ब्याज के संबंध में किसी भी तौर-तरीके से पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है, वे निर्दिष्ट अवधि के बाद मानक श्रेणी में उन्नयन के पात्र होंगे। यह निर्दिष्ट अवधि मूलधन या ब्याज की पहली किस्त के भुगतान की तारीख से एक वर्ष के बाद होगी, इनमें से जो भी पहले हो तथा पुनर्व्यवस्थापन के अनुसार अवधि के दौरान संतोषप्रद कार्यनिष्पादन हुआ हो।

च. आस्ति वर्गीकरण स्थिति

विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के दौरान, पुनर्निर्धारित खातों की आस्ति वर्गीकरण स्थिति नहीं बिगड़ेगी यदि इस अवधि के दौरान खाते का प्रदर्शन संतोषप्रद रहा हो। तथापि, यदि एक वर्ष की अवधि के दौरान कार्य निष्पादन संतोषप्रद नहीं पाया गया, तो पुनर्व्यवस्थापित खाते का आस्ति वर्गीकरण पुनर्व्यवस्थापन के पहले की भुगतान अनुसूची के संदर्भ में लागू होने वाले विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक बैंक वसूली के रिकार्ड के आधार पर, बैंकों पर लागू होने वाले वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक विशेष का आस्ति वर्गीकरण किया जाएगा।

छ. दोहराव पुनर्व्यवस्थापन

उपर्युक्त पैरा 5, 6 एवं 7 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण के लिए उपलब्ध विशेष व्यवस्था खाते का पहली बार पुनर्व्यवस्थापन किये जाने के समय ही उपलब्ध होगी ।

ज. क्रियाविधि

i. इन दिशा-निर्देशों के आधार पर, अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से बैंक छोटे एवं मझौले उद्यमों (एस एम ई) के लिए ऋण-पुनर्व्यवस्थापन योजना बना सकते हैं। योजना बनाते समय, बैंक इस बात का ध्यान रखें कि योजना समझने में आसान हो तथा इन दिशा-निर्देशों में दर्शाए मापदंडों को अवश्य शामिल करें ।

ii. उधारकर्ता इकाइयों से अनुरोध प्राप्त होने पर ही पुनर्व्यवस्थापन किया जाए।

iii. उन पात्र छोटे और मझौले उद्यमों के मामले में, जो संघीय सहायता /एकाधिक बैंकिंग व्यवस्थाओं के अधीन हैं, अधिकतम बकाया वाले बैंक द्वारा तथा दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बैंक के साथ मिलकर पुनर्व्यवस्थापन पैकेज तैयार किया जाए।

झ. समय सीमा

बैंकों को, पुनर्व्यवस्थापन पैकेज तैयार कर, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 60 दिनों में उसे लागू करना चाहिए।

ञ. प्रकटीकरण

छोटे और मझौले उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण पुनर्व्यवस्थापन योजना को बैंकों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना चाहिए तथा उसे सिडबी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए सिडबी को प्रेषित कर देना चाहिए।

बैंकों को वर्ष के दौरान छोटे और मझौले उद्यम (एसएमई) खातों के लिए किए पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में अपने वार्षिक तुलन पत्रों में, 'लेखों पर टिप्पणियाँ' के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी भी देनी चाहिए :

(क) पुनर्व्यवस्थापन के लिए एसएमई की कुल राशि
[(क) = (ख)+ (ग) + (घ)]

(ख) पुनर्व्यवस्थापन के अंतर्गत लायी गयी एसएमई की मानक आस्तियों की राशि

(ग) पुनर्व्यवस्थापन के अंतर्गत लायी गयी एसएमई की अवमानक आस्तियों की राशि

(घ) पुनर्व्यवस्थापन के अंतर्गत लायी गयी एसएमई की संदिग्ध आस्तियों की राशि

4.2.18 कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं

कुछ मामलों में यह देखने में आया है कि कार्यान्वित की जा रही परियोजना के निर्धारित समयावधि के बाद चलने पर भी तत्संबंधी ऋण आस्ति को केवल इसलिए मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहा है क्योंकि परियोजना का कार्यान्वयन चल रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निर्धारित समयावधि से बहुत अधिक समय तक परियोजना के चलने पर उसकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और आस्ति की गुणवत्ता में कमी आती है, यह आवश्यक समझा गया कि परियोजना को पूरा करने के लिए वस्तुपरक तथा निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चल रही परियोजना की ऋण आस्तियों को उचित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है और उसकी आस्ति की गुणवत्ता सही रूप में परिलक्षित होती है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, यह निर्णय लिया गया था कि निर्धारित समयावधि से अधिक चलने वाली औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बैंकों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में नीचे दिये गये मानदंड लागू किये जाएं ।

i. जिस तारीख को परियोजना पूरी की जानी थी उस तारीख के निर्धारण के लिए चल रही परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

श्रेणी I : वे परियोजनाएं जिनका वित्तीय समापन (फाइनेंशियल क्लोज़र) किया गया है और उनका विधिवत् प्रलेखीकरण (फार्मली डाक्यूमेंटेड) किया गया है ।

श्रेणी II: 100 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की मूल परियोजना लागत वाली 1997 से पूर्व स्वीकृत परियोजनाएं जिनके वित्तीय समापन का विधिवत् प्रलेखीकरण नहीं किया गया है ।

श्रेणी III: 100 करोड़ रुपये से कम की मूल परियोजना लागत वाली 1997 से पूर्व स्वीकृत परियोजनाएं जिनका वित्तीय समापन का विधिवत् प्रलेखीकरण नहीं किया गया है ।

आस्ति वर्गीकरण

ii. उक्त प्रत्येक श्रेणी के लिए परियोजना के पूरे हो चुकने की तारीख तथा उससे संबंधित ऋण आस्ति का वर्गीकरण नीचे दिये गये प्रकार से किया जाए :

श्रेणी I (ऐसी परियोजनाएं जिनका वित्तीय समापन प्राप्त किया गया और उनका विधिवत् रिकार्ड किया गया): ऐसे मामलों में परियोजना पूरी होने की तारीख वही होनी चाहिए जो मूल

वित्तीय समापन के समय परिकल्पित की गयी थी । ऐसे सभी मामलों में, आस्ति को *परियोजना के पूरा होने की तारीख के बाद दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए मानक आस्ति के रूप में माना जाए, जैसा कि परियोजना के प्रारंभिक वित्तीय समापन के समय परिकल्पित था।* किंतु, 1997 के बाद वित्तपोषित परियोजना के संदर्भ में यदि वित्तीय समापन का विधिवत् प्रलेखीकरण नहीं किया गया है तो नीचे श्रेणी III के लिए दिये गये मानदंड लागू होंगे ।

श्रेणी II (100 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की मूल परियोजना लागत वाली 1997 से पूर्व स्वीकृत परियोजनाएं िजनका वित्तीय समापन विधिवत् रूप से प्रलेखित नहीं किया गया है): 1997 से पहले मंजूर की गयी ऐसी परियोजनाओं के लिए जहां वित्तीय समापन की तारीख को विधिवत् प्रलेखित नहीं किया गया था, एक स्वतंत्र समूह का गठन किया गया िजसमें मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के विशेषज्ञ और इस क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल थे ताकि परियोजना के पूरी होने की अनुमानित तारीख का निर्धारण किया जा सके। इस समूह ने सभी महत्वपूर्ण और संबंधित तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर, परियोजना-दर-परियोजना आधार पर परियोजना पूरी होने की अनुमानित तारीख का निर्धारण किया है । ऐसे मामलों में, आस्तियों को *परियोजना पूरी होने की अनुमानित तारीख के अतिरिक्त दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जैसा कि समूह द्वारा निर्धारित की जाए, मानक आस्ति माना जाए* । जिन बैंकों ने ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान किया है वे उन शीर्ष वित्तीय संस्थाओं से संपर्क करें जिन्हें संबंधित परियोजना पूरी होने की अनुमानित तारीख से संबंधित ब्यौरे प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र समूह की रिपोर्ट की प्रतिलिपि दी गयी है ।

श्रेणी III (100 करोड़ रुपये से कम की मूल परियोजना लागत वाली 1997 से पूर्व स्वीकृत परियोजनाएं जिनका वित्तीय समापन विधिवत् प्रलेखित नहीं किया गया है): इन मामलों में, 1997 के पहले मंजूर की गयी परियोजनाओं के लिए जहां वित्तीय समापन का विधिवत् प्रलेखित नहीं किया गया था, परियोजना पूरी होने की तारीख वही होगी जो मंजूरी के समय मूल रूप से परिकल्पित की गयी थी । ऐसे मामलों में, *आस्तियों को परियोजना पूरी होने की तारीख के बाद दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए ही मानक आस्ति के रूप में माना जायेगा, जैसा कि मंजूरी के समय मूल रूप से परिकल्पित किया गया था।*

iii. उपर्युक्त सभी तीनों श्रेणियों में, दो वर्ष की उक्त निर्धारित समयावधि से अधिक समय लगने की स्थिति में आस्ति को अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए फिर चाहे वसूली का रिकार्ड और तदनुसार उसके लिए किया गया प्रावधान कुछ भी हो ।

iv. जहां तक वित्तीय संस्थाओं /बैंकों द्वारा **28 मई 2002** के बाद वित्तपोषित परियोजनाओं का प्रश्न है, परियोजना पूरी होने की तारीख का स्पष्ट उल्लेख परियोजना के वित्तीय समापन के समय ही किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, यदि व्यापारिक उत्पादन परियोजना पूरी होने की तारीख, जैसा कि परियोजना के प्रारंभिक वित्तीय समापन के समय मूलतः परिकल्पत किया

गया हो, से छह महीने की अवधि के बाद, शुरू होता हो तो उस खाते को अवमानक आस्ति माना जाएगा । तथापि, केवल बुनियादी सेवा परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2008 से, यदि वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ होने की तारीख उक्त परियोजना पूरी होने की मूलत: अनुमानित तारीख के बाद दो वर्ष की अवधि से आगे चली जाती है तो उसे अवमानक माना जाए।

<u>आय निर्धारण</u>

v. बैंकों को चाहिए कि वे कार्यान्वित की जा रही उक्त तीनों श्रेणियों की 'मानक' आस्ति के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं के संबंध में आय का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर करें।

vi. बैंकों को चाहिए कि वे कार्यान्वित की जा रही उक्त तीनों श्रेणियों की 'अवमानक' आस्तियों के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं के संबंध में आय का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर न करें। वे नकदी आधार पर वसूली के बाद ही ऐसे खातों के संबंध में आय का हिसाब करें।

परिणामत:, जिन बैंकों ने पहले गलत ढंग से आय का निर्धारण किया है उन्हें चाहिए कि यदि मौजूदा वर्ष के दौरान इसे आय के रूप में निर्धारित कर दिया गया हो तो वे ब्याज को प्रतिवर्तित कर दें अथवा यदि पिछले वर्ष (वर्षों) में इसे आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो, उसके समतुल्य राशि के लिए प्रावधान कर दें। 'निधिक ब्याज' के रूप में निर्धारित आय की विनियामक प्रक्रिया और ईक्विटी, डिबेंचरों या किसी अन्य लिखत में परिवर्तन के बारे में बैंकों को चाहिए कि वे निम्नलिखित का पालन करें :

क) <u>निधिक ब्याज</u>: अनर्जक आस्तियों के बारे में आय निर्धारण चाहे ऋण करार की शर्तों का पुनर्निर्माण/ पुनर्निर्धारण /पुनः समझौता के अधीन हो या नहीं, वसूली के बाद ही, कड़ाई से नकदी आधार पर न कि बकाया ब्याज की राशि को निधि में रखने पर किया जाना चाहिए। परंतु यदि, निधिक ब्याज की राशि को आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो, साथ ही साथ, समतुल्य राशि का भी प्रावधान किया जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में, अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में ब्याज के निधीयन को यदि आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो उसके लिए पूर्णत: प्रावधान किया जाना चाहिए ।

ख) <u>ईक्विटी, डिबेंचर या किसी अन्य लिखत में परिवर्तन</u> : अन्य लिखतों में परिवर्तित बकाया राशि में सामान्यत: मूलधन और ब्याज के घटक शामिल होंगे। यदि ब्याज की बकाया राशि को ईक्विटी या किसी अन्य लिखत में परिवर्तित किया जाता हो और इसके कारण आय निर्धारित की जाती हो तो, इस रूप में निर्धारित आय की राशि के लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार के आय निर्धारण के प्रभाव से बचा जा सके। इस प्रकार का प्रावधान उस राशि के अतिरिक्त होगा जो निवेश मूल्यन मानदंडों के अनुसार ईक्विटी या अन्य लिखतों के मूल्य में ह्रास के लिए आवश्यक है। परंतु, यदि ब्याज को निर्दिष्ट भाव वाली ईक्विटी में परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तन की तारीख को ईक्विटी के बाज़ार मूल्य पर ब्याज आय का निर्धारण किया जा सकेगा जो ईक्विटी में परिवर्तित ब्याज की राशि से

अधिक नहीं होगा। इसके बाद इस प्रकार की ईक्विटी को 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा और उसका मूल्यन निम्न लागत या बाजार मूल्य पर किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के संदर्भ

में मूल और /या ब्याज डिबेंचरों में परिवर्तन के मामले में, ऐसे डिबेंचरों को उसी आस्ति वर्गीकरण में प्रारंभ से अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाना चाहिए जो परिवर्तन के एकदम पहले ऋण पर लागू है तथा मानदंडों के अनुसार प्रावधान करना चाहिए। यह मानदंड जीरो कूपन बांडों या ऐसे अन्य लिखतों पर भी लागू होगा जो जारीकर्ता की देयता आस्थगित करना चाहते हैं। ऐसे डिबेंचरों पर, आय का निर्धारण केवल वसूली के आधार पर किया जाना चाहिए। वसूल न किये गये ब्याज, जिसे डिबेंचरों या किसी अन्य नियत अवधिपूर्णता के लिखत में परिवर्तित किया गया है, के संदर्भ में आय का निर्धारण ऐसे लिखत के प्रतिदान पर ही किया जाना चाहिए। उपर्युक्त की शर्त पर, ऋण की मूल राशि के परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी शेयर या अन्य लिखत भी ऐसे लिखतों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मूल्यांकन मानदंडों की शर्त के अधीन होंगे ।

<u>प्रावधान करना</u>

vii. जहां, अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने संबंधी मौजूदा मानदंडों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहीं जिन बैंकों ने कुछ खातों के संदर्भ में पहले ही प्रावधान किये हैं, जिसे अब 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा, वे उन प्रावधानों को बनाये रखना जारी रखेंगे और उसका प्रत्यावर्तन नहीं करेंगे ।

4.2.19 <u>टेक-आउट वित्त</u>

'टेक-आउट' वित्त दीर्घावधि की मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था के सन्दर्भ में एक उत्पाद है । इस व्यवस्था के तहत मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने वाली संस्था / बैंक किसी अन्य वित्तीय संस्था के साथ व्यवस्था करके पूर्व निर्धारित आधार पर इस प्रकार के वित्तपोषण के सम्बन्ध में अपनी बहियों की बकाया राशि का उनकी बहियों में अंतरण करने की व्यवस्था करेंगे। टेकिंग ओवर (अधिग्रहण) में लगने वाले समय की दृष्टि से इस बीच चूक की संभावना हो सकती है । उस सम्बद्ध बैंक / वित्तीय संस्था को आय-निर्धारण और प्रावधान करने के मानदण्डों का अनुपालन करना होगा, जिसकी बहियों में इन खातों को संगत तारीख को तुलनपत्र की मद के रूप में लिया गया है। यदि ऋणदाता संस्था को लगता है कि वसूली के रिकार्ड के आधार पर कोई आस्ति अनर्जक आस्ति बन चुकी है, तो उसका तदनुसार वर्गीकरण करना चाहिए । ऋणदाता संस्था को आय का निर्धारण उपचय के आधार पर नहीं करना चाहिए और इसे केवल तभी हिसाब में लेना चाहिए, जब ऋणकर्ता/ ग्रहणकर्ता संस्था से इसका भुगतान मिल जाये (यदि व्यवस्था में ऐसा प्रावधान हो)। ऋणदाता संस्था को किसी आस्ति के अनर्जक आस्ति में परिवर्तित हो जाने की दशा में, ग्रहणकर्ता संस्था द्वारा ग्रहण किये जाने तक, उसके लिए प्रावधान करने चाहिए। जैसे ही ग्रहणकर्ता संस्था आस्तियों का अधिग्रहण कर ले, तभी संबद्ध प्रावधानों को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तथापि, ऐसी आस्तियों को ग्रहण करने पर ग्रहणकर्ता संस्था को खाते को उसी तारीख से अनर्जक आस्ति के रूप में लेते हुए प्रावधान करना चाहिए जिस तारीख को यह वस्तुतः अनर्जक खाता बना हो, भले ही उस तारीख को वह खाता इसकी बहियों में न रहा हो ।

4.2.20 पोतलदान के बाद आपूर्तिकर्ता का ऋण

i. जिन देशों के लिए निर्यात ऋण और गारंटी निगम की रक्षा प्राप्त है, उन देशों को माल के निर्यात हेतु बैंकों द्वारा पोतलदान के बाद के ऋण के संबंध में निर्यात-आयात बैंक ने गारंटी-सह-पुनर्वित्त कार्यक्रम प्रारंभ किया है, िासके द्वारा, चूक करने की स्थिति में, निर्यात ऋण और गारंटी निगम के पास निर्यातकर्ता द्वारा दावा दायर करने के बाद निर्यात-आयात बैंक गारंटी की राशि का भुगतान बैंक द्वारा गारंटी लागू करने के 30 दिन में बैंक को करेगा ।

ii. तदनुसार निर्यात-आयात बैंक से ि ातनी राशि का भुगतान प्राप्त हो उतनी राशि को आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के प्रयोजन के लिए अनर्जक आस्ति के रूप में न माना जाये ।

4.2.21 निर्यात परियोजना वित्त

i. ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां वास्तविक आयातकर्ता ने विदेश स्थित बैंक को देय राशि अदा कर दी हो किन्तु वह बैंक युद्ध, संघर्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ की पाबंदियों जैसी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उस राशि का प्रेषण करने में असमर्थ रहा हो ।

ii. ऐसे मामलों में जहां संबंधित (ऋण देनेवाला) बैंक दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा यह स्थापित करने में समर्थ हो कि आयातकर्ता ने विदेश स्थित बैंक में राशि जमा करके सम्पूर्ण देय राशियां चुका दी हैं और यह चुकौती बैंक की बहियों में अनर्जक आस्तियां बनने से पहले हो चुकी हो, किन्तु वह देश राजनीतिक स्थिति अथवा अन्य कारणों से उस राशि का आयातकर्ता को प्रेषण करने की अनुमति न दे पा रहा हो, तो आस्ति वर्गीकरण विदेश स्थित बैंक में आयातकर्ता द्वारा राशि जमा करने की तारीख से एक वर्ष के बाद लागू किये जायें ।

4.2.22 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर) / मीयादी ऋण संस्थाओं (टीएलआइ) द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अधीन अग्रिम

जिस अग्रिम की शर्तों पर पुनः समझौता किया गया हो उस अग्रिम के संबंध में वर्गीकरण को उन्नत करने की अनुमति बैंकों को तब तक नहीं है जब तक पुनः किये गये समझौते की शर्तों का पैकेज एक वर्ष की अवधि तक संतोषजनक रूप में कार्य न कर चुका हो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड /मीयादी ऋण संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत किसी यूनिट को स्वीकृत की गयी मौजूदा ऋण सुविधायें, यथास्थिति, अवमानक या संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत की जाती रहेंगी, वहीं पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त सुविधाओं के संबंध में आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण के मानदंड राशि के वितरण की तारीख से एक वर्ष के बाद लागू होंगे ।

5. प्रावधान संबंधी मानदंड

5.1 सामान्य

5.1.1 ऋण आस्तियों, निवेश अथवा किसी अन्य के मूल्यन में किसी कमी के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की प्राथमिक ि ाम्मेदारी बैंक के प्रबंध-तंत्र और सांविधिक लेखा-परीक्षकों की है। रिज़र्व बैंक के निरीक्षण

करने वाले अधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त और आवश्यक प्रावधान करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए बैंक के प्रबंध-तंत्र और लेखा-परीक्षकों की सहायता करने के लिए दिया जाता है ।

5.1.2 विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप, निर्धारित श्रेणियों में आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर अनर्जक आस्तियों से संबंधित प्रावधान किया जाना चाहिए, जैसा कि पैराग्राफ 4 में बताया गया है । किसी खाते में वसूली संदिग्ध हो जाने और उसे संदिग्ध के रूप में पहचानने के बीच के समय को हिसाब में लेते हुए जमानत की वसूली और बैंक को प्रभारित की गयी जमानत के मूल्य में कमी के लिए बैंकों को अवमानक , संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों के लिए निम्नप्रकार प्रावधान करना चाहिए :

5.2 हानि वाली आस्तियां

संपूर्ण आस्ति को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए । यदि आस्तियों को किसी कारण बहियों में बनाये रखने की अनुमति दी गयी हो तो बकाया राशि के लिए शत-प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए ।

5.3 संदिग्ध आस्तियां

i. जिस जमानत के लिए बैंक की वैध पहुंच हो उसके वसूली योग्य मूल्य द्वारा जो अग्रिम सुरक्षित न हो उनके लिए शत-प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए और वसूली योग्य मूल्य का यथार्थपरक अनुमान लगाया जाना चाहिए ।

ii. जमानती अंश के संबंध में प्रावधान जमानत के अंश के 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की दरों पर निम्नलिखित आधार पर किया जाना चाहिए, जो उस अवधि पर निर्भर होगा जिस अवधि के लिए आस्ति संदिग्ध रही हो:

जिस अवधि के लिए आस्ति 'संदिग्ध' श्रेणी में रही हो	**अपेक्षित प्रावधान (%)**
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष तक	30
तीन वर्ष से अधिक	100

iii. बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे आस्ति को अवमानक से संदिग्ध आस्ति के रूप में 18 से घटाकर 12 महीने किये जाने की संक्रमण अवधि के परिणामस्वरूप होने वाले अतिरिक्त प्रावधानीकरण

को चार वर्ष की अवधि में चरणबद्ध करें, जो 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष से शुरू होकर प्रतिवर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत हो ।

टिप्पणी : <u>प्रावधान के लिए जमानत का मूल्यन</u>

जमानत के मूल्य का अनुमान लगाने में अंतर से उत्पन्न भिन्नता को कम करने और स्टॉक के मूल्यन पर विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक की शेष अनर्जक राशि के मामले में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एजेन्सी द्वारा वार्षिक अंतराल पर स्टॉक का लेखा-परीक्षण करवाना आवश्यक

होगा। बैंक के पक्ष में प्रभारित अचल संपत्ति जैसी संपार्श्विक जमानतों का मूल्यन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्त मूल्यनकर्ता द्वारा तीन वर्ष में एक बार करवाया जाना चाहिए ।

5.4 अवमानक आस्तियां

कुल बकाया राशि पर 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान डी आइ सी जी सी / निर्यात ऋण और गारंटी निगम की रक्षा और **उपलबध जमानत** को हिसाब में लिये िना किया जाना चाहिए।

'अवमानक' के रूप में अभिनिर्धारित 'बेज़मानती ऋण' के लिए 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान, अर्थात् बकाया राशि पर कुल 20 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा। बेज़मानती 'संदिग्ध' आस्तियों के लिए प्रावधानन आवश्यकता 100 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी। बेज़मानती ऋण को उस ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके मामले में संबंधित बैंक/अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं/ रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा मूल्यांकित किया गया जमानत का वसूली योग्य मूल्य, प्रारंभ में, बकाया ऋण के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। 'ऋण' में सभी निधिक और निधिकेतर ऋण (हामीदीरी और उसी प्रकार की प्रतिबद्धता वाले ऋणों सहित) शामिल होंगे।'जमानत' से आशय होगा वह मूर्त जमानत जिसकी संबंधित बैंक को समुचित रूप से चुकौती की गई हो। 'जमानत' में गारंटियों (राज्य सरकार की गारंटियों सहित), कम्फर्ट लेटर आदि जैसी अमूर्त जमानत को शामिल नहीं किया जाएगा।

5.5 मानक आस्तियाँ

(i) मानक आस्तियों के लिए बैंकों को निधिक बकाया के लिए विश्व ऋण संविभाग आधार पर निम्नलिखित दरों पर साधारण प्रावधान करने चाहिए :

(क) कृषि और छोटे एवं मझौले उद्यम क्षेत्रों के लिए 0.25 प्रतिशत की दर से प्रत्यक्ष अग्रिम

(ख) 20 लाख रु पये से अधिक के रिहाइशी आवास ऋण 1.0 प्रतिशत की दर से;

(ग) विशिष्ट क्षेत्रों को अग्रिम जैसे वैयक्तिक ऋण (क्रेडिट कार्ड की प्राप्य राशियों सहित), पूंजी बाज़ार एक्सपोजर के तौर पर पात्र ऋण एवं अग्रिम, वाणिज्यिक स्थावर संपदा

ऋण, और जमाराशियाँ स्वीकार न करनेवाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण और अग्रिम 2 प्रतिशत की दर से,

(घ) अन्य सभी अग्रिम जो उपर्युक्त (क) एवं (ख) एवं (ग) में शामिल नहीं हैं, 0.40 प्रतिशत की दर से,

(ii) अर्थवयवस्था के अत्यधिक उत्पादक क्षेत्रों को ऋण की निरंतर तथा पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आस्ति वित्त कंपनियों (गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर परिभाषित किए गए अनुसार) को ऋण तथा अग्रिम, जो कि मानक आस्तियां हैं, के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाएं 0.40 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगी।

(iii) निवल अनर्जक आस्तियाँ निर्धारित करने के लिए मानक आस्तियों के प्रावधानों की गणना नहीं की जानी चाहिए

(iv) मानक आस्तियों के संदर्भ में प्रावधान सकल अग्रिमों से घटाये नहीं किए जाने चाहिए बल्कि उन्हें तुलनपत्र की 5वीं अनुसूची में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" के अंतर्गत 'अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में आकस्मिक प्रावधान' के तौर पर अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

5.6 अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधानों के उपयोग तथा निर्माण पर विवेकपूर्ण मानदंड

5.6.1 बैंकों द्वारा अस्थायी प्रावधान बनाने के सिद्धांत

बैंकों के निदेशक बोर्डों को फ्लोटिंग प्रावधान किस स्तर तक निर्मित किये जा सकते हैं इस संबंध में अनुमोदित नीति बनानी चाहिए । बैंक, 'अग्रिमों' और 'निवेशों' के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधान बनाएं तथा निर्धारित दिशानिर्देश 'अग्रिम' और 'निवेश' संविभागों दोनों के लिए धारित अस्थायी प्रावधानों पर लागू होंगे ।

5.6.2 बैंकों द्वारा अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधानों का उपयोग करने संबंधी सिद्धांत

अनर्जक आस्तियों के संबंध में वर्तमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार विशिष्ट प्रावधान बनाने के लिए अथवा मानक आस्तियों के लिए विनियामक प्रावधान बनाने के लिए अस्थायी प्रावधानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करके और रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से ही अनर्जक खातों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए असामान्य परिस्थितियों में आकस्मिकताओं के लिए अस्थायी प्रावधानों का उपयोग करना चाहिए। बैंकों के निदेशक मंडल एक अनुमोदित नीति बनाएं कि किन परिस्थितियों को असामान्य माना जाएगा।

बैंकों के निदेशक मंडल को इस संबंध में उचित नीतियां लागू करना आसान हो सके इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि हानियों का कारण बनने वाली असाधारण परिस्थितियां वे हैं जो सामान्य कारोबार में उत्पन्न नहीं होतीं और जो अपवादात्मक होती हैं तथा पुनरावर्ती स्वरूप की नहीं होती। ये असाधारण परिस्थितियां स्थूल रूप से तीन श्रेणियों में होंगी; अर्थात् सामान्य, बाज़ार तथा ऋण। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ऐसी स्थिति हो सकती है कि नागरी अशांति, अथवा किसी देश की मुद्रा में गिरावट जैसी घटनाओं के कारण बैंक को अनपेक्षित हानि उठानी पड़ी है। प्राकृतिक आपदा तथा देशव्यापी महामारी का भी सामान्य श्रेणी में

समावेश होता है। बाज़ार श्रेणी में बाज़ारों की सामान्य गिरावट जैसी घटनाओं का समावेश होगा जिससे पूरी वित्तीय प्रणाली प्रभावित होती है । ऋण श्रेणी में केवल अपवादात्मक ऋण हानियों को असाधारण परिस्थितियों के रूप में माना जाएगा।

5.6.3 लेखाकरण

अस्थायी प्रावधान लाभ और हानि खाते के जमा से प्रत्यावर्तित नहीं किये जा सकते। उनका उपयोग उपर्युक्त दर्शाए गई असामान्य परिस्थितियों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए ही किया जा सकता है। जब तक ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता, इन प्रावधानों को निवल एनपीए (अनर्जक आस्तियों) के प्रकटीकरणप्राप्त करने के लिए सकल एनपीए (अनर्जक आस्तियों) से घटाया जा सकता है। वैकल्पिक तौर पर, उन्हें कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की समग्र सीमा के अंदर टियर II पूंजी के हिस्से के तौर पर माना जा सकता है।

5.6.4 प्रकटीकरण

बैंकों को अपने तुलन पत्र में "खातों पर टिप्पणियाँ " में अस्थायी प्रावधानों के संबंध में, (क) अस्थायी प्रावधान खातों में प्रारंभिक शेष, (ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों का परिमाण, (ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरण का प्रयोजन तथा राशि तथा (घ) फ्लोटिंग प्रावधान खाते में इतिशेष, पर व्यापक प्रकटीकरण करने चाहिए।

5.6.5 निर्धारित दरों से उच्चतर दरों पर अग्रिमों के लिए प्रावधान

वर्तमान विनियमावली के अंतर्गत निर्धारित दरों से ऊँची दरों के अग्रिमों के लिए, बैंक स्वेच्छा से विशिष्ट प्रावधान कर सकते हैं बशर्ते ऐसी उच्च दरें निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हों तथा साल -दर -साल लगातार प्राप्त की गई हों। ऐसे अतिरिक्त प्रावधानों को अस्थायी प्रावधान नहीं माना जाएगा।

5.7 पट्टे की आस्तियों पर प्रावधान

i) अवमानक आस्तियां

क) पट्टे में शुद्ध निवेश की राशि के 10 प्रतिशत में, वित्त प्रभार घटक को घटाकर वित्त आय का वसूल न किया गया जो हिस्सा होगा उसे मिलाना। 'पट्टे में शुद्ध निवेश', 'वित्त आय' तथा 'वित्त प्रभार' शब्दों की परिभाषा आइसीएआइ द्वारा जारी 'एएस19 - पट्टा' में दी गई है।

ख) उक्त पैरा 5.4 में यथापरिभाषित बेज़मानती पट्टा ऋण, जिन्हें 'अवमानक' के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है, पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान, अर्थात् कुल 20 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा।

ii) संदिग्ध आस्तियां

पट्टे की आस्तियों के वसूलीयोग्य मूल्य द्वारा जितना वित्त सुरक्षित नहीं है उसके लिए शत-प्रतिशत प्रावधान। वसूलीयोग्य मूल्य का अनुमान वास्तविक आधार पर करना होगा। उपर्युक्त प्रावधान के

अतिरिक्त 'पट्टे में शुद्ध निवेश'में जमानती हिस्से के वित्त प्रभार घटक को घटाकर वित्त आय का वसूल न किया गया जो हिस्सा होगा उसे मिलाकर आनेवाली राशि पर निम्नलिखित दरों पर, प्रावधान किये जाने चाहिए जो उस अवधि पर निर्भर होंगे िजसके लिए आस्ति संदिग्ध रही है:

निम्न अवधि के लिए अग्रिम 'संदिग्ध' श्रेणी में रहा	अपेक्षित प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष तक	30
तीन वर्ष से अधिक	100

iii) <u>हानिवाली आस्तियां</u>

संपूर्ण आस्ति बट्टेखाते डाली जानी चाहिए। यदि आस्तियों को किसी कारण बहियों में बनाये रखने की अनुमति दी गयी हो तो, वित्त प्रभार घटक को घटाकर वित्त आय का जो वसूल न किया गया हिस्सा होगा उसे मिलाकर आनेवाली राशि के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए ।

5.8 विशेष परिस्थितियों में प्रावधानों के लिए दिशानिर्देश

5.8.1 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड / मीयादी ऋण संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेजों के अंतर्गत प्रदत्त अग्रिम

(i) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/मीयादी ऋण संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत अग्रिमों के संबंध में मौजूदा ऋण सुविधाओं पर बैंक को देय राशियों के संबंध में प्रावधान अवमानक या संदिग्ध आस्ति के रूप में उनके वर्गीकरण के अनुसार किया जाना जारी रखा जाए।

(ii) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड और / या मीयादी ऋण संस्थाओं द्वारा अंतिम रूप दिये गये पैकेज के अनुसार स्वीकृत अतिरिक्त सुविधाओं के बारे में प्रावधान राशि के वितरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त सुविधाओं पर प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) उन लघु उद्योग इकाइयों को स्वीकृत अतिरिक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए कोई प्रावधान किये जाने की जरूरत नहीं है, जिन्हें रुग्ण माना गया है । ढ1 मार्च 2005 के ग्राआऋवि के परिपत्र सं. पीएलएनएफएस. बीसी. 83/06.02.31/2004-05 में यथापरिभाषितज तथा जिनके संबंध में बैंकों द्वारा स्वयं या सहायता संघीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत पुनर्वास पैकेज / पोषण कार्यक्रम तैयार किये गये हों।

5.8.2 मीयादी जमाराशियों, अभ्यर्पण के लिए पात्र राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों, स्वर्ण आभूषणों, सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य प्रकार की सभी प्रतिभूतियों और जीवन बीमा पॉलिसियों पर उतना प्रावधान करना आवश्यक होगा जितना उनके आस्ति वर्गीकरण दर्जे पर लागू होता है।

5.8.3 ब्याज उचंत खाते का व्यवहार

ब्याज उचंत खाते की राशियों को प्रावधानों का भाग नहीं माना जाना चाहिए। ब्याज उचंत खाते की राशि को संबंधित अग्रिमों से घटाया जाना चाहिए और उसके बाद इस तरह की कटौती के बाद शेष राशियों पर मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए ।

5.8.4 ईसीजीसी की गारंटी द्वारा सुरक्षित अग्रिम

ईसीजीसी की गारंटी द्वारा सुरक्षित अग्रिमों के मामले में इन निगमों द्वारा गारंटीकृत राशि से अधिक शेष के लिए ही प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संदिग्ध आस्तियों के लिए अपेक्षित प्रावधान की राशि निकालते समय पहले जमानतों का वसूलीयोग्य मूल्य इन निगमों द्वारा गारंटीकृत राशि के संबंध में बकाया शेष में से घटा दिया जाना चाहिए और उसके बाद नीचे दिये गये उदाहरण के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए :

उदाहरण

बकाया शेष	4 लाख रुपये
ईसीजीसी सुरक्षा	50 प्रतिशत
जिस अवधि के लिए अग्रिम संदिग्ध रहा	3 वर्ष से अधिक (31 मार्च 2004 को) संदिग्ध रहा
धारित जमानत का मूल्य (रुपये छोड़कर)	1.50 लाख रुपये

अपेक्षित प्रावधान

बकाया शेष	4 लाख रुपये
घटाएं: धारित प्रतिभूति का मूल्य	1.50 लाख रुपये
वसूल न हो सकनेवाली शेष राशि	2.50 लाख रुपये
घटाएं: ईसीजीसी सुरक्षा (वसूल न हो सकनेवाली राशि का 50 प्रतिशत)	1.25 लाख रुपये
शुद्ध बेजमानती शेष	1.25 लाख रुपये
अग्रिम के बेजमानती अंश के लिए प्रावधान	1.25 लाख रुपये (बेजमानती अंश के 100 प्रतिशत की दर पर)
अग्रिम के जमानती अंश के लिए प्रावधान (31 मार्च 2005 को)	0.90 लाख रुपये (जमानती अंश के 60 प्रतिशत की दर पर)
अपेक्षित कुल प्रावधान	2.15 लाख रुपये (31 मार्च 2005 को)

5.8.5 सीजीटीएसआइ गारंटी द्वारा सुरक्षित अग्रिम

सीजीटीएसआइ गारंटी द्वारा सुरक्षित अग्रिम के अनर्जक आस्ति हो जाने के मामले में गारंटीकृत अंश के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाना है। गारंटीकृत अंश से अधिक बकाया राशि के लिए प्रावधान अनर्जक अग्रिमों के बारे में प्रावधान करने से संबंधित प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। दो उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं:

उदाहरण I

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति	**संदिग्ध - 3 वर्ष से अधिक (31 मार्च 2004 को)**	
सीजीटीएसआइ की सुरक्षा :	बकाया राशि का 75 प्रतिशत या बेजमानती राशि का 75 प्रतिशत या 18.75 लाख रुपये जो भी कम हो	
जमानत का वसूलीयोग्य मूल्य	1.50 लाख रुपये	
बकाया शेषराशि	10.00 लाख रुपये	
घटाएं : जमानत का वसूलीयोग्य मूल्य	1.50 लाख रुपये	
असुरक्षित राशि	8.50 लाख रुपये	
घटाएं : सीजीटीएसआइ रक्षा (75 प्रतिशत)	6.38 लाख रुपये	
बेजमानती और असुरक्षित अंश	2.12 लाख रुपये	
		अपेक्षित प्रावधान (31 मार्च 2005 को)
सुरक्षित अंश	1.50 लाख रुपये	0.90 लाख रुपये (60 प्रतिशत की दर से)
बेजमानती और असुरक्षित अंश	2.12 लाख रुपये	2.12 लाख रुपये (100 प्रतिशत)
कुल अपेक्षित प्रावधान		3.02 लाख रुपये

उदाहरण II

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति	**संदिग्ध - 3 वर्ष से अधिक (31 मार्च 2005 को)**	
सीजीटीएसआइ की सुरक्षा :	बकाया राशि का 75 % या असुरक्षित राशि का 75% या 18.75 लाख रुपये, जो भी कम हो	
जमानत का वसूलीयोग्य मूल्य	10.00 लाख रुपये	
बकाया शेष राशि	40.00 लाख रुपये	
घटाएं: जमानत का वसूलीयोग्य मूल्य	10.00 लाख रुपये	
असुरक्षित राशि	30.00 लाख रुपये	
घटाएं: सीजीटीएसआइ रक्षा (75%)	18.75 लाख रुपये	
शुद्ध बेजमानती और असुरक्षित अंश	11.25 लाख रुपये	
		अपेक्षित प्रावधान (31मार्च 2005 को)
सुरक्षित अंश	10.00 लाख रुपये	10.00 लाख रुपये (100%की दर से)
बेजमानती और असुरक्षित अंश	11.25 लाख रुपये	11.25 लाख रुपये (100%)
कुल अपेक्षित प्रावधान		21.25 लाख रुपये

5.8.6 टेक आउट वित्त

ऋण देने वाली संस्था को चाहिए कि वह 'टेक आउट वित्त' के अनर्जक हो जाने पर अधिग्रहण करने वाली संस्था द्वारा अधिग्रहण होने तक उसके लिए प्रावधान करे। जब भी अधिग्रहण करने वाली संस्था आस्ति का अधिग्रहण करती है तो तदनुरूप प्रावधान प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए ।

5.8.7 विनिमय दर में घट-बढ़ खाते के लिए प्रारक्षित राशि

जब भारतीय रुपये की विनियम दर में प्रतिकूल गतिविधि हो तो विदेशी मुद्रा की अधिकता वाले ऋण की बकाया राशि (जहां वास्तविक वितरण भारतीय रुपयों में किया गया हो) कालातीत देय राशि हो जाती है तो वह तदनुसार बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप प्रावधान की अपेक्षाओं पर भी असर पड़ता है । इस प्रकार की आस्तियों का सामान्यतः पुनर्मूल्यन नहीं किया जाना चाहिए । यदि इस तरह की आस्तियों का पुनर्मूल्यन लेखाकरण की अपेक्षाओं के अनुसार अथवा किसी अन्य अपेक्षा के कारण किया जाये तो निम्नलिखित क्रियाविधि अपनायी जानी चाहिए :

- आस्तियों के पुनर्मूल्यन पर हानि को बैंक के लाभ और हानि खाते में डाला जाना चाहिए ।
- आस्ति वर्गीकरण के अनुसार प्रावधान की अपेक्षा के अतिरिक्त बैंकों को पुनर्मूल्यन से लाभ की संपूर्ण राशि को विशिष्ट आस्तियों पर प्रावधान के रूप में विदेशी मुद्रा विनिमय में घट-बढ़ के कारण तदनुरूपी आस्तियों, यदि कोई हों, के संबंध में माना जाना चाहिए ।

5.8.8 देश विशेष संबंधी एक्सपोज़र के लिए प्रावधान करना

बैंकों को 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष से देश विशेष संबंधी अपने शुद्ध निधिगत एक्सपोज़र पर 0.25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के क्रमिक मान (स्केल) के आधार पर नीचे दिये गये जोखिम संवर्ग के अनुसार प्रावधान करना चाहिए। प्रारंभ में बैंक निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार प्रावधान करेंगे :

जोखिम का संवर्ग	**ईसीजीसी का वर्गीकरण**	**अपेक्षित प्रावधान (प्रतिशत)**
नगण्य	ए 1	0.25
निम्न	ए 2	0.25
सामान्य	बी 1	5
उच्च	बी 2	20
अति उच्च	सी 1	25
प्रतिबंधित	सी 2	100
ऋण से इतर	डी	100

बैंकों से अपेक्षित है कि वे उस देश के मामले में देश संबंधी एक्सपोज़र के लिए प्रावधान करें जब किसी देश का शुद्ध निधिक एक्सपोज़र उसकी कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

देश विशेष सबंधी एक्सपोज़र के लिए किया जाने वाला प्रावधान आस्ति के वर्गीकरण की स्थिति के अनुसार किये जाने वाले प्रावधानों के अतिरिक्त होगा। 'हानि आस्तियों' और 'संदिग्ध आस्तियों' के मामलों में, इस संबंध में किया गया प्रावधान और देश विशेष संबंधी जोखिम के लिए किया गया प्रावधान मिलकर बकाया राशि के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

'स्वदेश' संबंधी एक्सपोज़र अर्थात् भारत संबंधी एक्सपोज़र के लिए बैंकों को प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं के मूल देश संबंधी एक्सपोज़र को शामिल किया जाना चाहिए । विदेशी बैंक भारत स्थित अपनी शाखाओं के संबंध में देश संबंधी एक्सपोज़र की गणना करेंगे और उसके लिए भारत की बहियों में उपयुक्त प्रावधान करेंगे। परंतु उनके भारत संबंधी एक्सपोज़र उसमें शामिल नहीं किये जायेंगे।

बैंक अल्पावधि के एक्सपोज़र (अर्थात् 180 दिन से कम अवधि के संविदागत परिपक्वता वाले जोखिम) के संबंध में कम स्तर का प्रावधान (जैसे, अपेक्षित प्रावधान का 25 प्रतिशत) कर सकते हैं।

5.8.9 <u>प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के संबंध में प्रावधान संबंधी मनदंड</u>

(i) यदि प्रतिभूतिकरण कंपनी /पुनर्निर्माण कंपनी को की गयी बिक्री की राशि शुद्ध बही मूल्य (अर्थात् बही मूल्य में से किये गये प्रावधान को घटाकर) से कम हो तो, कमी की राशि को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में नामे करना चाहिए ।

(ii) यदि आस्तियों की बिक्री की राशि शुद्ध बही मूल्य से अधिक होती है, तो अतिरिक्त प्रावधान को प्रत्यावर्तित नहीं किया जायेगा, बल्कि इसका उपयोग प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बिक्री की गयी अन्य वित्तीय आस्तियों के संबंध में हुई कमी /हानि को पूरा करने के लिए किया जायेगा ।

(iii) कमी की राशि, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए बैंकों को समर्थ बनाने के उद्देश्य से उन्हें सूचित किया गया है कि वे न्यूनतम विनियामक अपेक्षित राशि से पर्याप्त अधिक की राशि का प्रावधान करें, विशेषरूप से उन आस्तियों के संबंध में जिन्हें वे प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री करना चाहते हैं ।

5.8.10 <u>प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए प्रदान की गई चलनिधि सुविधा केलिए प्रावधानीकरण मानदंड</u>

प्रतिभूतीकरण पर 1 फरवरी 2006 के हमारे दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतीकरण लेनदेन के संबंध में आहरित तथा 90 दिन से अधिक अवधि के लिए बकाया चलनिधि सुविधा की राशि के लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाना चाहिए।

6. प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्रचना कंपनी (आरसी) (वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतीकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निर्मित) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री तथा संबंधित मामलों पर दिशानिर्देश ।

6.1 व्याप्ति

ये दिशानिर्देश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतीकरण तथा पुनर्रचना तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आस्ति पुनर्रचना /प्रतिभूतीकरण के लिए नीचे पैरा 6.3 में दी गई वित्तीय आस्तियों की बैंकों द्वारा की गई बिक्री पर लागू होंगे।

6.2 स्वरूप

पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत एससी /आरसी को अपनी वित्तीय आस्तियों को बेचते समय तथा एससी/आरसी द्वारा प्रस्तावित बाण्डों /डिबेंचर /प्रतिभूति रसीदों में निवेश करते समय बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को जिन दिशानिर्देशों का पालन करना है, वे नीचे दिए गए हैं : विवेकपूर्ण दिशानिर्देश निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत समूहित किए गए हैं :

i) बेचने योग्य वित्तीय आस्तियां।

ii) बैंकों /वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों के मूल्यांकन तथा कीमत निर्धारण पहलू सहित एससी/आरसी को बेचने की क्रियाविधि ।

iii) बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को अपनी वित्तीय आस्तियों को एससी/आरसी को बेचने तथा वित्तीय आस्तियों की बिक्री के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में एससी /आरसी द्वारा प्रस्तावित बाण्डों /डिबेंचरों /प्रतिभूति रसीदों तथा कोई अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में विवेकपूर्ण मानदंड :

   क) प्रावधानीकरण /मूल्यांकन संबंधी मानदंड
   ख) पूंजी पर्याप्तता मानदंड
   ग) एक्सपोज़र संबंधी मानदंड

iv) प्रकटीकरण अपेक्षाएं

6.3 बेचने योग्य वित्तीय आस्तियाँ

कोई भी वित्तीय आस्ति किसी भी बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा एससी/आरसी को तब बेची जा सकती हे जहां वह आस्ति निम्नलिखित है :

i) एक अनर्जक आस्ति जिसमें कोई अनर्जक बाण्ड /डिबेंचर शामिल है, और

ii) एक मानक आस्ति जहां :

   (क) आस्ति संघीय /बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत है

(ख) आस्ति के मूल्य के अनुसार कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य को अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं की बहियों में अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) संघीय /बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत जितने बैंक /वित्तीय संस्थाएं हैं उनमें से कम से कम 75 प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) बैंक/वित्तीय संस्थाएं उक्त आस्ति एससी/ आरसी को बेचने के लिए सहमत हैं।

6.4 बैंकों /वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों के मूल्यांकन तथा कीमत निर्धारण पहलू सहित एससी /आरसी को बिक्री की क्रियाविधि

(क) वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतीकरण तथा पुनसंर्रचना तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) एससी /आरसी को किसी बैंक /वित्तीय संस्था से उनके बीच सम्मत शर्तों पर वित्तीय आस्तियों के अर्जन के लिए अनुमति देता है। इसमें 'दायित्व रहित' आधार पर अर्थात् वित्तीय आस्तियों से संबद्ध संपूर्ण ऋण जोखिम को एससी /आरसी में अंतरित करना, तथा 'दायित्व सहित' आधार पर अर्थात् जिसमें आस्ति के अप्राप्त अंश का विक्रेता बैंक/वित्तीय संस्था पर प्रत्यावर्तित होने के अधीन वित्तीय आस्तियों की बिक्री का प्रावधान है। तथापि बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को यह निदेश दिए जाते हैं कि वे सुनिश्चित करें कि वित्तीय आस्तियों की बिक्री का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि उकत आस्ति को बैंक /वित्तीय संस्था की बहियों में से निकाल दिया जाता है और बिक्री के बाद बैंकों /वित्तीय संस्थाओं पर कोई ज्ञात दायित्व अंतरित नहीं होना चाहिए।

(ख) जो बैंक /वित्तीय संस्थाएं अपनी वित्तीय आस्तियां एससी/आरसी को बेचना चाहते हैं वे यह सुनिश्चित करें कि उक्त बिक्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसरण में विवेकपूर्ण ढंग से की गई है । बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को शामिल करने वाली नीतियां तथा दिशानिर्देश निर्धारित करेगा :

i. बेचने योग्य वित्तीय आस्तियां;
ii. ऐसी वित्तीय आस्तियों की बिक्री के लिए मानदंड तथा क्रियाविधि ;
iii. वित्तीय आस्तियों के प्राप्य मूल्य का समुचित अनुमान सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन क्रियाविधि का निर्धारण
iv. वित्तीय आस्तियों की बिक्री के संबंध में निर्णय लेने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन; आदि

(ग) बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि एससी /आरसी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के बाद बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में कोई परिचालनगत, विधिक अथवा अन्य कोई प्रकार के जोखिम नहीं रहते हैं ।

(घ) (i) प्रत्येक बैंक /वित्तीय संस्था, वित्तीय आस्ति के लिए एससी/आरसी द्वारा प्रस्तावित मूल्य का अपना खुदका मूल्यांकन करेगी और उस प्रस्ताव को स्वीकार करना है अथवा नहीं के संबंध में निर्णय लेगी।

(ii) संघीय /बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के मामले में, यदि उनमें से 75 प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) बैंक/वित्तीय संस्थाएं उस प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लेती है तो शेष बैंक/वित्तीय संस्थाएं प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगी।

(iii) किसी भी परिस्थिति में आकस्मिक मूल्य पर एससी /आरसी को अंतरण नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे मामले में एससी /आरसी को प्राप्य राशि में घाटा हो जाने की स्थिति में बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को उस कमी के कुछ अंश को वहन करना होगा।

(ङ) एससी /आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के बिक्री प्रतिफल के रूप में बैंक /वित्तीय संस्थाएं नकद अथवा बाण्ड अथवा डिबेंचर्स प्राप्त कर सकते है।

(च) एससी /आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के बिक्री प्रतिफल के रूप में बैंकों वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त बाण्ड/डिबेंचरों का बैंकों /वित्तीय संस्थाओं की बहियों में निवेशों के रूप में वर्गीकरण किया जाएगा।

(छ) एससी/आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों, पास-थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी), अथवा अन्य बाण्ड/ डिबेंचरों में भी बैंक निवेश कर सकते हैं। इन प्रतिभूतियों का भी बैंकों /वित्तीय संस्थाओं की बहियों में निवेशों के रूप में वर्गीकरण किया जाएगा।

(ज) विशिष्ट वित्तीय आस्तियों के मामले में जहां आवश्यक समझा जाए वहां बैंक /वित्तीय संस्थाएं एससी /आरसी के साथ इस आशय का समझौता कर सकती हैं कि संबंधित आस्ति की वास्तविक वसूली पर एससी /आरसी को यदि कोई अतिरिक्त राशि की वसूली होती है तो उसे दोनों द्वारा सम्मत अनुपात में बांटा जाएगा। ऐसे मामलों में बिक्री की शर्तों में आस्ति से वसूल किए गए मूल्य के संबंध में एससी / आरसी द्वारा बैंक को रिपोर्ट दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। वास्तविक बिक्री होने के बाद लाभ प्राप्त होने तक बैंक /वित्तीय संस्थाएं प्रत्याशित लाभ को अपनी बहियों में जमा /जमा के रूप में नहीं लेंगे।

6.5 बिक्री लेनदेन के संबंध में बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

(क) <u>प्रावधानीकरण /मूल्यांकन मानदंड</u>

(क) (i) जब कभी कोई बैंक /वित्तीय संस्था अपनी वित्तीय आस्तियों को एससी /आरसी को बेचती है, तो अंतरण होने पर उसे उसकी बहियों में से निकाल दिया जाएगा।

(ii) यदि एससी /आरसी को निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य में से धारित प्रावधानों को घटाकर प्राप्त मूल्य) से कम कीमत पर आस्ति बेची गई है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में नामें डाला जाए।

(iii) यदि निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री की गई है तो अतिरिक्त प्रावधान को प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा बल्कि उसे एससी /आरसी को बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों में हुए घाटे /कमी को पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

(iv) जब बैंक /वित्तीय संस्थाएं, उनके द्वारा एससी/आरसी को बेची हुई वित्तीय आस्तियों के संबंध में एससी /आरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदों /पास-थ्रू प्रमाणपत्रों में निवेश करती हैं तो उक्त बिक्री को बैंक /वित्तीय संस्थाओं की बहियों में निम्नलिखित से कम स्तर पर माना जाएगा :

- प्रतिभूति रसीदों /पास-थ्रू प्रमाणपत्रों के मोचन मूल्य, तथा
- वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य

उपर्युक्त निवेश को बैंक/वित्तीय संस्था की बहियों में उसकी बिक्री अथवा वसूली होने तक उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित मूल्य पर जमा किया जाएगा और ऐसी बिक्री अथवा वसूली होने पर हानि अथवा लाभ पर उपर्युक्त (ii) तथा (iii) में दिए गए अनुसार ही कार्रवाई की जाए ।

(ख) एससी/आरसी द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों (बाण्ड तथा डिबेंचर) को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी :

(i) प्रतिभूति की अवधि छः वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) प्रतिभूति पर लागू ब्याज दर, उसे जारी करने के समय पर प्रचलित बैंक दर से 1.5 प्रतिशत अधिक से कम नहीं होनी चाहिए।

(iii) प्रतिभूतियाँ अंतरित आस्तियों पर उचित प्रभार द्वारा रक्षित होनी चाहिए।

(iv) प्रतिभूति की परिपक्वता की तारीख के पूर्व एससी /आरसी द्वारा प्रतिभूति की जमानत देने वाली आस्ति को बेच देने की स्थिति में प्रतिभूतियों में आंशिक अथवा पूर्ण पूर्व भुगतान का प्रावधान होना चाहिए।

(v) प्रतिभूतियों का मोचन करने की एससी /आरसी की प्रतिबद्धता बिना शर्त होनी चाहिए और आस्तियों की वसूली से संबद्ध नहीं।

(vi) जब कभी प्रतिभूति किसी अन्य पार्टी को अंतरित की जाती है तो एससी /आरसी को उस अंतरण की सूचना जारी की जाए।

(ग) *एससी /आरसी द्वारा जारी डिबेंचरों /बाण्डों /प्रतिभूति रसीदों /पास - थ्रू प्रमाणपत्रों में निवेश*

एससी /आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के बिक्री प्रतिफल के रूप में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त सभी लिखत तथा एससी /आरसी द्वारा जारी अन्य लिखत जिनमें बैंक/वित्तीय संस्थाएं निवेश करेंगी, सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों के स्वरूप के होंगे। तदनुसार, एससी/आरसी द्वारा जारी डिबेंचरों/बाण्डों /प्रतिभूति रसीदों /पास-थ्रू प्रमाणपत्रों में बेंकों/वित्तीय संस्थाओं के निवेश पर

सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर लिखतों में निवेश पर लागू भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए मूल्यांकन, वर्गीकरण तथा अन्य मानदंड लागू होंगे। तथापि, एससी/आरसी द्वारा जारी उपर्युक्त लिखतों में से यदि कोई संबंधित योजना में लिखतों को आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित है तो बैंक/वित्तीय संस्था ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए एससी/ आरसी से समय-समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्य को ध्यान में लेगी।

(आ) पूंजी पर्याप्तता :

पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे एससी /आरसी द्वारा जारी तथा बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश के रूप में धारित डिबेंचरों /बाण्डों /सुरक्षा रसीदों /पास-थ्रू प्रमाणपत्रों में किए गए निवेशों को नीचे दिए गए अनुसार जोखिम-भार आबंटित करें :

i)	ऋण जोखिम के लिए जोखिम-भार :	100 प्रतिशत,
ii)	बाज़ार जोखिम के लिए जोखिम-भार:	2.5 प्रतिशत
	लागू जोखिम भार =	(i) +(ii)

(इ) एक्सपोज़र मानदंड

एससी /आरसी द्वारा जारी डिबेंचरों /बाण्डों /प्रतिभूति रसीदों /पास-थ्रू प्रमाणपत्रों में बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के निवेश को एससी /आरसी पर एक्सपोज़र माना जाएगा। चूंकि अब बहुत कम एससी /आरसी स्थापित की जाती हैं इसलिए एससी /आरसी द्वारा जारी डिबेंचरों /बाण्डों /प्रतिभूति रसीदों /पास-थ्रू प्रमाणपत्रों में उनके निवेश के माध्यम से बैंकों /वित्तीय संस्थाओं का एससी /आरसी पर एक्सपोज़र उनके एक्सपोज़र की विवेकपूर्ण सीमा से अधिक हो सकता है। इस घटना के असाधारण स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को प्रारंभिक वर्षों में मामला-दर-मामला आधार पर एक्सपोज़र की विवेकपूर्ण सीमा को पार करने की अनुमति दी जाएगी।

6.6 प्रकटीकरण अपेक्षाएं

एससी/आरसी को अपनी वित्तीय आस्तियां बेचने वाले बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को उनके तुलनपत्रों के लेखा पर टिप्पणों में निम्नलखित प्रकटीकरण करने होंगे :

वर्ष के दौरान आस्ति पुनर्रचना के लिए एससी /आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

क. खातों की संख्या

ख. एससी/आरसी का बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)

ग. कुल प्रतिफल /राशि

घ. पिछले कुछ वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त राशि

ङ निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि

6.7 संबंधित मामले

(क) एससी/आरसी उन वित्तीय आस्तियों को भी खरीदेगी जिन्हें पुनः प्रचलित नहीं किया जा सकता तथा इसलिए उनका वसूली आधार पर निपटान करना होगा। साधारणतः एससी/आरसी इन आस्तियों को खरीदेगी नहीं बल्कि वसूली करने के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करेगी। वह वसूली करने के लिए कुछ शुल्क प्रभारित करेगी।

(ख) जहां उपर्युक्त श्रेणी की आस्तियां हैं, वहा बैंकों /वित्तीय संस्थाओं की बहियों में से इन आस्तियों को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन जब कभी वसूली होगी तब उसे आस्ति खाते में जमा किया जाएगा। बैंक /वित्तीय संस्था उक्त आस्ति के लिए सामान्य तौर पर प्रावधान करेगी।

7. अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद / बिक्री पर दिशानिर्देश

जहां प्रतिभूतिकरण कंपनियां तथा पुनर्विन्यास कंपनियां शामिल नहीं हैं, वहां अपनी अनर्जक आस्तियों का निदान करने हेतु और अनर्जक आस्तियों के लिए एक सक्षम गौण बाज़ार विकसित करने हेतु तथा बैंकों के पास उपलब्ध विकल्पों को बढ़ाने के लिए अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री पर बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं। चूंकि इस विकल्प के अंतर्गत अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री/खरीद वित्तीय प्रणाली के भीतर की जाएगी, अतः अनर्जक आस्तियों के निदान की संपूर्ण प्रक्रिया और इससे संबंधित मामलों के निदान की संपूर्ण प्रक्रिया उचित तत्परता और सावधानी से स्पष्ट दिशानिर्देशों के होने का आश्वासन देते हुए शुरू किए जाने चाहिए जिसका सभी संस्थाएं अनुपालन करेंगी और इससे अनर्जक आस्तियों की बिक्री तथा खरीद द्वारा अनर्जक आस्तियां का निदान करने की प्रक्रिया सरल तथा सुदृढ़ता से चलेगी। तदनुसार अनर्जक आस्तियों की बिक्री /खरीद पर दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और नीचे दिये गये हैं। इन दिशानिर्देशों को बैंकों /वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए और उनके कार्यान्वयन हेतु उचित कदम उठाये जाए।

व्याप्ति

7.1 ये दिशानिर्देश अन्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपतिनयों (प्रतिभूतीकरण कंपनियां/पुनर्व्यवस्थापन कंपनियों को छोड़कर) से /को अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद / बिक्री करने वाले बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होंगे।

7.2 बहुविध /संघीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत रहनेवाली वित्तीय आस्तियों सहित वित्तीय आस्ति इन दिशानिर्देशों के अनुसार खरीद / बिक्री के लिए पात्र होगी यदि वह विक्रेता बैंक की बही में यह एक अनर्जक आस्ति /अनर्जक निवेश है।

7.3 अनर्जक वित्तीय आस्तियों पर दिशानिर्देशों में 'बैंक' शब्द के संदर्भ में वित्तीय संस्थाएं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल होंगी।

ढांचा

7.4 अन्य बैंकों से /को अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद /बिक्री करने वाले बैंकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं। दिशानिर्देशों को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

i) मूल्यन और कीमत निर्धारण संबंधी पहलुओं को शामिल करते हुए बैंकों द्वारा अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद /बिक्री के लिए क्रियाविधि ।

ii) अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद /बिक्री हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड :

क) आस्ति वर्गीकरण मानदंड

ख) प्रावधानीकरण मानदंड

ग) वसूली के संबंध में लेखा प्रणाली

घ) पूंजी पर्याप्तता मानदंड

ङ) एक्सपोज़र मानदंड

iii) प्रकटन अपेक्षाएं

7.5 मूल्यन और कीमत निर्धारण संबंधी पहलुओं सहित अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद / बिक्री के लिए क्रियाविधि

i) वित्तीय आस्तिओं की खरीद /बिक्री करने वाले बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार खरीद /बिक्री की जाती है । बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ नीतियों और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करेगा,

क) अनर्जक वित्तीय आस्तियां जो खरीदी / बेची जायें

ख) ऐसी वित्तीय आस्तियों की खरीद/बिक्री के लिए मानदंड और क्रियाविधि

ग) यह सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन की जाने वाली मूल्यन क्रियाविधि कि चुकौती और वसूली के संभावनाओं से निर्मित होने वाले अनुमानित नकदी प्रवाहों पर आधारित वित्तीय आस्तियों का आर्थिक मूल्य उचित रूप में अनुमानित किया गया है

घ) वित्तीय आस्ति आदि की खरीद/बिक्री पर निर्णय लेने हेतु विभिन्न संस्थाओं कीं शक्तियों का प्रत्यायोजन

ङ) लेखाकरण नीति

ii) नीति निर्धारित करते समय बोर्ड खुद को इस बात से संतुष्ट करेगा कि अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद के और सक्षम तरीके से उस का लेनदेन करने के लिए उस बैंक के पास पर्याप्त कौशल है जिससे बैंक को लाभ होगा । बोर्ड को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कार्य को करते समय खरीददार बैंक को जो जोखिम उठाना पड़ेगा उस पर कारगर रूप से विचार करने के लिए उचित प्रणाली तथा कार्यपद्धति अपनायी गयी है।

iii) अनर्जक आस्तियों को बेचते समय बैंकों को उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य में से वसूली की लागत को घटाकर उससे संबद्ध अनुमानित नकदी प्रवाहों के निवल वर्तमान मूल्य
की गणना करनी चाहिए । उपर्युक्त वर्णित पद्धति से प्राप्त निवल वर्तमान मूल्य से बिक्री की कीमत सामान्यतः कम नहीं होनी चाहिए । (समझौता निपटानों में भी इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाए । चूंकि समझौता राशि का भुगतान किस्तों मे हो सकता है, इसलिए निपटान राशि के निवल वर्तमान मूल्य का अभिकलन किया जाए और यह राशि प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य के निवल वर्तमान मूल्य से सामान्यतः कम नहीं होना चाहिए ।)

iv) अनुमानित नकदी प्रवाह सामान्यतः तीन वर्ष के भीतर होना अपेक्षित है और पहले वर्ष में अनुमानित नकदी प्रवाह कम से कम 10 प्रतिशत तथा उसके बाद प्रत्येक छमाही में कम से कम 5 प्रतिशत होना चाहिए, बशर्ते तीन वर्ष में पूरी वसूली हो।

v) बैंक अनर्जक वित्तीय आस्तियों की अन्य बैंकों से खरीद /बिक्री केवल 'दायित्व रहित' आधार पर करे अर्थात् अनर्जक वित्तीय आस्तियों के साथ जुड़ा संपूर्ण ऋण जोखिम खरीददार बैंक को अंतरित किया जाना चाहिए। विक्रेता बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय आस्तियों की बिक्री का प्रभाव ऐसा हो कि वह आस्ति बैंक की बहियों से हटा ली जाए तथा बिक्री के बाद विक्रेता बैंक पर किसी ज्ञात दायित्व का अंतरण न हो ।

vi) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य बैंकों को अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के बाद बेची गयी आस्तियों के संबंध में वे शामिल न हो और बेची गयी वित्तीय आस्तियों के संबंध में उन पर परिचालनगत, कानूनी अथवा किसी भी प्रकार का जोखिम न हो। परिणामतः, विशिष्ट वित्तीय आस्ति को किसी भी रूप में अथवा प्रकार की ऋण वृद्धि /नकदी सुविधा का आधार नहीं होना चाहिए।

vii) वित्तीय आस्ति के लिए खरीददार बैंक द्वारा प्रस्तुत मूल्य का प्रत्येक बैंक अपना मूल्यांकन करेगा और यह निर्णय करेगा कि उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे ।

viii) किसी भी स्थिति में अन्य बैंकों को ऐसी आकस्मिक कीमत पर बिक्री नहीं की जा सकती जिससे खरीददार बैंक द्वारा वसूली में कमी की स्थिति में विक्रेता बैंक को कमी के किसी अंश का वहन करना पड़े।

ix) किसी बैंक की बही में रहने वाली कोई अनर्जक आस्ति अन्य बैंकों को बिक्री के लिए केवल तभी पात्र होगी जब वह विक्रेता बैंक की बही में कम-से-कम 2 वर्ष तक अनर्जक आस्ति के रूप में रही हो ।

x) बैंक अन्य बैंकों को अनर्जक वित्तीय आस्तियां केवल नकदी आधार पर बेचेंगे। संपूर्ण बिक्री प्रतिफल वैध होना चाहिए और इन आस्तियों को विक्रेता बैंक की बही से केवल संपूर्ण प्रतिफल की प्राप्ति होने पर हटाया जा सकता है।

xi) खरीददार बैंक को किसी अनर्जक वित्तीय आस्ति को अन्य बैंकों को बेचे जाने से पहले अपनी बही में कम से कम 15 महीने तक धारित करना चाहिए। बैंकों को ऐसी आस्तियों को वापस उसी बैंक को बेचना नहीं चाहिए जिसने इन अनर्जक वित्तीय आस्तियों को बेचा था।

xii) बैंकों को सजातीय पूल को संविभाग आधार पर खुदरा अनर्जक वित्तीय आस्तियों के अंतर्गत बेचने /खरीद ने की अनुमति दी गयी है बशर्ते पूल की प्रत्येक अनर्जक वित्तीय आस्तियां विक्रेता बैंक की बही में कम से कम 2 वर्ष तक अनर्जक वित्तीय आस्तियों के रूप में रहे । इन अस्तियों के पूल को खरीददार बैंक की बही में एकल आस्ति के रूप में माना जाएगा।

xiii) विक्रेता बैंक अन्य बैंकों को बेची गयी अनर्जक आस्तियों के संबंध में वर्तमान अनुदेशों के अनुसार स्टाफ के उत्तरदायित्व के पहलुओं की ओर ध्यान देगा।

7.6 खरीद /बिक्री लेनदेन हेतु बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

(क) <u>आस्ति वर्गीकरण मानदंड</u>

(i) खरीदी गयी अनर्जक आस्तियों की खरीद की तारीख से 90 दिन की अवधि के लिए खरीददार बैंक की बही में 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जाय। बाद में, खरीदी गयी वित्तीय आस्ति की आस्ति वर्गीकरण स्थिति आस्ति की खरीद के समय अनुमानित नकदी प्रवाह के संदर्भ में खरीददार बैंक की बही में दर्ज वसूली रिकार्ड के आधार पर निर्धारित की जाएगी जो पैरा 7.5 (iii) में दी गयी अपेक्षा के पालन में होनी चाहिए।

(ii) खरीददार बैंक की बही में उसी बाध्यताधारी के प्रति किसी वर्तमान एक्सपोज़र (खरीदी गयी वित्तीय आस्ति को छोड़कर) की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को उस निवेश की वसूली रिकार्ड से नियंत्रित करना जारी रहेगा और इसलिए वह अलग हो सकता है।

(iii) जहां खरीद /बिक्री से इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित किसी भी विवेकपूर्ण अपेक्षाओं की पूर्ति न होती हो वहां खरीद के समय खरीददार बैंक की बही में आस्ति वर्गीकरण स्थिति वही होगी जो विक्रेता बैंक की बही में होगी। इसके बाद आस्ति वर्गीकरण स्थिति का निर्धारण विक्रेता बैंक में अनर्जक आस्ति की तारीख के संदर्भ में जारी रहेगा।

(iv) खरीददार बैंक द्वारा अनर्जक वित्तीय आस्ति की चुकौती सारणी का कोई भी पुनर्व्यवस्थापन / पुनर्निर्धारण/पुनः क्रय अथवा अनुमानित नकदी प्रवाह उस खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में बनाएगा।

(ख) <u>प्रावधानन करने संबंधी मानदंड</u>

<u>विक्रेता बैंक की बही</u>

i) जब कोई बैंक अन्य बैंकों को अपनी अनर्जक आस्तियां बेचता है तब अंतरण होने पर उसकी बही से उसे हटाया जाएगा।

ii) यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् धारित प्रावधान से बही मूल्य काटकर) से निम्न कीमत पर हो तो उस कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखा में नामे डाला जाएगा।

iii) यदि एनबीवी से उच्चतर मूल्य पर बिक्री की गयी हो तो अतिरिक्त प्रावधान को प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा परंतु इसका उपयोग अन्य अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई कमी /हानि की पूर्ति के लिए किया जाएगा।

खरीददार बैंक की बही

आस्ति के लिए खरीददार बैंक की बहियों में इसकी आस्ति वर्गीकरण स्थिति के लिए उपयुक्त उचित प्रावधानन अपेक्षाएं आवश्यक होंगी ।

(ग) वसूली के संबंध में लेखा प्रणाली

अन्य बैंकों से खरीदी गयी अनर्जक आस्ति के संबंध में किसी भी वसूली के पहले इसकी अर्जित लागत के संबंध में समायोजन किया जाना चाहिए। अर्जित लागत से अधिक वसूलियों को लाभ के रूप में माना जा सकता है।

(घ) पूंजी पर्याप्तता

पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन हेतु बैंकों को अन्य बैंकों से खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों को 100 प्रतिशत जोखिम भार आबंटित करना चाहिए। यदि खरीदी गयी अनर्जक आस्ति एक निवेश के रूप में है तो इस पर बाजार जोखिम के लिए भी पूंजी प्रभार लगेगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता के संबंधित अनुदेश लागू होंगे।

(ड.) एक्सपोज़र मानदंड

खरीददार बैंक विशिष्ट वित्तीय आस्ति के दायित्व के संबंध में एक्सपोज़ की गणना करेगा । इसलिए इन बैंकों को खरीद के कारण उभरनेवाले दायित्वों के संबंध में एक्सपोज़र की गणना के बाद विवेकपूर्ण ऋण एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा (एकल और समूह दोनों) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ।

7.7 प्रकटन अपेक्षाएं

जो बैंक अन्य बैंकों से अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद करते हैं उन्हें तुलनपत्र मे ंलेखों पर टिप्पणियां में निम्नलिखित प्रकटन करना अनिवार्य है :

क. खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

(राशि करोड़ रुपये में)

1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की सं.
   (ख) कुल बकाया
2. (क) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्विन्यास किए गए खातों की संख्या

(ख) कुल बकाया

ख. बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

(राशि करोड़ रुपये में)

1. बेचे गए खातों की सं.
2. कुल बकाया
3. कुल प्राप्त प्रतिफल

ग. खरीददार बैंक अपने द्वारा खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, सिबिल आदि को सभी संबंधित रिपोर्टें प्रेषित करेगा।

8. अनर्जक आस्तियों को बट्टे खाते डालना

8.1 आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 43 (घ) के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की श्रेणी से संबंधित ब्याज द्वारा आय को, रिज़र्व बैंक द्वारा इस तरह के ऋणों के संबंध में जारी किये गये दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, उस पिछले वर्ष में कर के लिए प्रभार योग्य माना जाये जिस वर्ष में बैंक के लाभ और हानि खाते में जमा की गयी हो या प्राप्त की गयी हो, जो भी पहले हो ।

8.2 यह शर्त ऊपर बताये गये अनुसार अपेक्षित प्रावधान के लिए लागू नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने हेतु अलग रखी गयी राशि कर में कटौती के लिए पात्र नहीं है ।

8.3 इसलिए बैंक या तो दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा प्रावधान करें अथवा अपने लेखा-परीक्षकों / कर परामर्शदाताओं के परामर्श से उ ित पद्धति विकसित करके इस प्रकार के अग्रिमों को बट्टे खाते डालें और यथालागू कर लाभों का दावा करें। इस प्रकार के खातों में की गयी वसूलियों को नियमानुसार कर प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8.4 प्रधान कार्यालय के स्तर पर बट्टे खाते डालना

बैंक शाखा की बहियों में संबंधित अग्रिमों के बकाया रहते हुए भी प्रधान कार्यालय स्तर पर अग्रिमों को बट्टे खाते डाल सकते हैं। परंतु यह आवश्यक है कि संबंधित खातों को दिये गये वर्गीकरण के अनुसार प्रावधान किया जाये। दूसरे शब्दों में, यदि अग्रिम हानि वाली आस्ति है तो उसके लिए 100 प्रतिशत प्रावधान करना होगा।

अनुबंध I

(देखें पैरा 4.2.13)

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए उधारों से संबंधित मास्टर परिपत्र से प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की सूची का प्रासंगिक अंश - 30 अप्रैल 2007 का आरपीसीडी. सं. प्लान. बीसी. 84/ 04.09.01/ 2006-07

प्रत्यक्ष वित्त		
1.1	**एकल कृषकों (इनमें स्व सहायता समूह अथवा संयुक्त देयता समूह शामिल हैं, बशर्ते बैंक ऐसे वित्तपोषण संबंधी अलग- अलग आंकड़े रखें) को कृषि के लिए वित्तपोषण**	
	1.1.1	फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण, अर्थात् फसल ऋणों के लिए। इसमें पारंपरिक, अपारंपरिक बागानों और उद्यानकृषि का समावेश है।
	1.1.2	कृषि उत्पादों (इनमें गोदाम रसीदें भी शामिल हैं) को गिरवी/दृष्टिबंधक रखने पर 12 महीने तक की अवधि के लिए 10 लाख रुपए तक के अग्रिम, चाहे उन कृषकों को उत्पाद के लिए फसल ऋण दिए गए हों या नहीं।
	1.1.3	कृषि हेतु उत्पादन तथा निवेश अपेक्षाओं के वित्तपोषण के लिए कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण
	1.1.4	भूमि की खरीद तथा कृषि प्रयोजनों के लिए छोटे और सीमांत कृषकों को ऋण
	1.1.5	समुचित संपार्श्विक तथा समूह सुरक्षा पर, संस्थागत उधारदाताओं से इतर उधारदाताओं के ऋणग्रस्त व्यथित कृषकों को ऋण
	1.1.6	ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों, स्व सहायता समूहों और सहकारी संस्थाओं द्वारा किए गए फसलपूर्व और फसल के बाद वाले कार्यकलापों, जैसे- छिड़काव, निराई, फसल कटाई, श्रेणीकरण, छँटाई, संसाधन और वहन के लिए मंजूर ऋण
1.2	**कृषि के लिए अन्यों (जैसे कंपनियां, भागीदारी फर्म और संस्थाएं) को वित्तपोषण**	
	1.2.1	फसलपूर्व और फसल के बाद वाले कार्यकलापों, जैसे- छिड़काव, निराई, फसल कटाई, श्रेणीकरण, छँटाई और वहन के लिए मंजूर ऋण
	1.2.2	उपर्युक्त 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 और 1.2.1 पर उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रति उधारकर्ता एक करोड़ रुपए की कुल राशि तक का वित्तपोषण
	1.2.3	कृषि के लिए प्रति उधारकर्ता कुल एक करोड़ रुपए से एक तिहाई अधिक के ऋण

अनुबंध - 2

(देखें प्रावरण परिपत्र की पैरा 2)

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय	मास्टर परिपत्र की पैरा सं.
1	आरबीआइ/2007-08/316 बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 82/ 21.04.048/2007-08	08.05.2008	अग्रिमों से संबंधित परिसंपत्ति वर्गीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वित की जा रही तथा विलंब से पूरी होनेवाली बुनियादी सुविधाओं वाली परियोजनाएं	4.2.18 (iv)
2	आरबीआइ/2007-08/152 बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 34/ 21.04.048/2007-08	04.10.2007	अनर्जक परिसंपत्तियों की खरीद / बिक्री पर दिशानिर्देश	7.5 (iii)
3	आरबीआइ/2006-07/396 बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 97/ 21.04.048/2006-07	16.05.2007	अनर्जक परिसंपत्तियों की खरीद / बिक्री पर दिशानिर्देश	7.5(iii)
4	आरबीआइ/2006-2007/320 बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 76/ 21.04.048/2006-07	12.04.2007	अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानन करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड - विलंब से पूर्ण होने वाली परियोजनाएं	4.2.18 (iv)
5	आरबीआइ/2006-2007/287 बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 68/ 21.04.048/2006-07	13.03.2007	अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधानों के निर्माण और उपयोग पर विवेकपूर्ण मानदंड	4.6.2
6	आरबीआइ/2006-2007/240 बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 53/ 21.04.048/2006-07	31.01.2007	वर्ष 2006-07 के लिए मौद्रिक नीति पर वार्षिक वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा - पूंजी पर्याप्तता के लिए मानक परिसंपत्तियों तथा जोखिम भारों के लिए प्रावधानन अपेक्षाएं	5.5(i)
7	आरबीआइ/2006-2007/65 बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 21 / 21.04.048/2006-07	12.07.2006	वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य-मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण अपेक्षाएं	5.5(i)
8	आरबीआइ/2005-06/421	22.06.2006	अस्थाई (फ्लोटिंग) प्रावधानों के	5.6

	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.89/ 21.04.048/2005-06		निर्माण और उपयोग पर विवेकपूर्ण मानदंड	
9	आरबीआइ/2005-06/394 बैंपविवि. बीपी.बीसी. 85/21.04.048/2005-06	29.05.2006	वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति विवरण : मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानन संबंधी अपेक्षाएं	5.5(i)
10	आरबीआइ/आरआरबीआइ/ 2005-06 बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.45/ 21.0421.04.048/2005-06	10.11.2005	कंपनी ऋण पुनर्विन्यास (सीडीआर)तंत्र पर संशोधित दिशानिर्देश	4.2.16
11	आरबीआइ/2005-06 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 46/21.0421.04.048/ 2005-06	10.11.2005	छोटे और मझौले उद्यमों के लिए ऋण पुनर्विन्यास तंत्र	4.2.17.क .(ii)
12	आरबीआइ/2005-06/198 बैंपविवि. सं. बीपी.ब ीसी. 40/ 21.04. 048/2005-06	04.11.2005	वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक नीति विवरण की मध्यावधि समीक्षा : मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानन संबंधी अपेक्षाएं	5.5(i)
13	आरबीआइ/2005-06/159 बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 34/ 21.04.132/ 2005-06	08.09.2005	छोटे और मझौले उद्यमों के लिए ऋण पुनर्विन्यास तंत्र - केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं	4.2.17
14	आरबीआइ/2005-06/54 बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 16/ 21.04. 048/2005-06	13.07.2005	अनर्जक आस्तियों की खरीद / बिक्री पर दिशा-निर्देश	7
15	आरबीआइ सं. 2004-05/140 बैंपविवि. बीपी.बीसी. 34/ 21.04.048/2004-05	26.08.2004	ग्रामीण आवास ऋणों की चुकौती अनुसूची	4.2.13 (vi)
16	आरबीआइ/2004-05/118 बैंपविवि. सं.बीपी.बीसी. 29/ 21.04.048/2004-05	13.08.2004	विवेकपूर्ण मानदंड - राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण	4.2.14
17	आरबीआइ/2004-266 ग्राआऋवि. सं. प्लान बीसी. 92/04.09.01/2003-04	24.06.2004	कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह	4.2.13 (iv)
18	आरबीआइ/2004/264	24.06.2004	कृषि अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण	2.1.2(iv),

	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 102/21. 04.048/2003-04		मानदंड	(v) 4.2.10, 4.2.13(i)
19	आरबीआइ/2004/261 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 99/21. 04.048/2003-04	21.06.2004	अनर्जक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानन अपेक्षाएं	5.3(ii), 5.7(ii), 5.8.5, 5.8.6
20	आरबीआइ/2004/254 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 97/ 21.04.141/2003-2004	17.06.2004	बेजमानती ऋणों पर विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश	5.4, 5.7(1)
21	आरबीआइ/2004/253 बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 96/21. 04. 103/ 2003-04	17.06.2004	देश विशेष संबंधी जोखिम प्रबंधन दिशा-निर्देश	5.8.9
22	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 96/21. 04. 048/2002-03	23.04.2003	प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी की आस्तियों की बिक्री तथा अन्य संबद्ध मामलों संबंधी दिशानिर्देश	5.8.10, 6
23	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 74/ 21. 04. 048/2002-03	27.02.2003	निर्धारित समयावधि से अधिक समय तक कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएँ	4.2.18
24	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 71/21.04.103/2002-03	19.02.2003	बैंकों में जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ - देश विशेष संबंधी जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश	5.8.9
25	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 69 / 21. 04.048/2002-03	10.02.2003	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन	4.2.5
26	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 44/21.04.048/2003-04	30.11.2002	प्राकृतिक आपदाओं से दुष्प्रभावित कृषि ऋण	4.2.13
27	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 108/ 21. 04.048/2001-2002	28.05.2002	अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधान करना - नियत अवधि से अधिक समय तक कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के मामले में कार्रवाई	4.2.18
28	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 101/21.01.002/2001-02	09.05.2002	कंपनी ऋण पुनर्विन्यास	4.2.16
29	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 100/21.01.002/2001-02	09.05.2002	आस्ति वर्गीकरण के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड	4.1.2
30	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 59/ 21.04.048/2001-02	22.01.2002	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - कृषि अग्रिम	4.2.13 (i)
31	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 25/21.04.048/2000-01	11.09.2001	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी	4.2.15 (v)

			विवेकपूर्ण मानदंड	
32	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 15/ 21.04.114/2000-01	23.08.2001	कंपनी ऋण पुनर्विन्यास	4.2.16
33	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 132/21. 04.048/2000-01	14.06.2001	अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन	4.2.2, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7 (ii), 4.2.8, 4.2.9, 5.8.8
34	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 128/21. 04.048/2000-01	07.06.2001	लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटीकृत लघु उद्योग अग्रिम- जोखिम भार और प्रावधान करने से संबंधित मानदंड	5.8.6
35	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 116/ 21. 04.048/2000-01	02.05.2001	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय 2001-02	2.1.2
36	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 98/21.04.048/2000-01	30.03.2001	पुनर्व्यवस्थित खातों पर कार्रवाई करना	4.2.15
37	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 40/ 21. 04.048/2000-01	30.10.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना - भारतीय रिज़र्व बैंक को अनर्जक आस्तियों की रिपोर्टिंग	3.5
38	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 161/21.04.048/2000	24.04.2000	पूँजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन आदि संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड	5.5
39	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 144/ 21.04.048/2000	29.02.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन करना और अन्य संबद्ध मामले और पर्याप्तता मानक - टेक आऊट वित्त	4.2.19, 5.8.7
40	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 138/21.04.048/2000	07.02.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण औरप्रावधान करना - निर्यात परियोजना वित्त	4.2.21
41	बैंपवि. सं. सीओ. बीसी. 103/21.04.048/99	21.10.99	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण करना - प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि वित्त	4.2.10
42	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 70/ 24.01.001/ 99	17.07.99	उपस्कर पट्टेदारी कार्य - लेखांकन / प्रावधानन/ प्रावधानन मानदंड	3.2.3, 5.7
43	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 45/21. 04.048/99	10.05.99	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना - वाणिज्य उत्पाद शुरु करने की संकल्पना	4.2.15

44	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 120/21. 04.048/98	29.12.98	आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषि ऋण	4.2.13(ii) & (iii)
45	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 103/21. 01.002/98	31.10.98	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय	4.1.1, 4.1.2, 5.5
46.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 17/21.04.048/98	04.03.98	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड -कृषि ऋण	4.2.13
47	डीओएस. सं. केंका. पीपी. बीसी. 6/11. 01.005/ 96-97	15.05.97	आस्ति मूल्यांकन और ऋणहानि के प्रावधान से संबंधित मूल्यांकन	5.1.1
48	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 29/ 21. 04.048/97	09.04.97	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन - कृषि संबंधी अग्रिम	4.2.13
49	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 14/21.04.048/97	19.02.97	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन कृषि आग्रिम	4.2.13
50	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 9/21.04.048/97	29.01.97	विवेकपूर्ण मानदंड - पूँजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन	4.2.4, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9
51	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 163/21.04.048/96	24.12.96	25,000/- रुपये से कम शेष राशि वाले अग्रिमों का वर्गीकरण	4.1
52	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 65/21.04.048/96	04.06.96	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन	4.2.8
53	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 26/21.04.048/96	19.03.96	अनर्जक अग्रिम - रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना	3.5
54	बैंपवि.बीसी. 25/ 21.04.048/96	19.03.96	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन	4.2.8, 4.2.14, 7.4
55	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 134/21.04.048/95	20.11.95	एक्ज़िम बैंक का नया उधार कार्यक्रम-पोतलदानोत्तर आपूर्तिकर्ता के ऋण के संदर्भ में वाणिज्य बैंकों को गारंटी एवं पुनर्वित्त	4.2.20
56	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 36/21.04.048/95	03.04.95	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन	3.2.2, 3.3, 4.2.20, 5.8.1 (i), (ii)
57	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 134/21.04.048/94	14.11.94	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानन और अन्य संबंधित मामले	4.2.20, 5.8.1
58	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.	16.05.94	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण	5.8.5

	58/21.04.048/94		और प्रावधानन और पूँजी पर्याप्तता मानदंड - स्पष्टीकरण	
59	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 50/21.04.048/94	30.04.94	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन	5.8.5
60	डीओएस. सं. बीसी. 4 / 16.14.001/93-94	19.03.94	ऋण निगरानी प्रणाली - उधारकर्ता खातों की स्थिति के लिए कूट प्रणाली	1.3
61	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 8/21.04.043/94	04.02.94	आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन और संबंधित मामले	3.1.2, 3.4, 4.2.11, 4.2.22, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4
62	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 195/21. 04.048/93	24.11.93	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन स्पष्टीकरण	4.2.14
63	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 95/21. 04.048/93	23.03.93	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानन तथा अन्य संबंधित मामले	3.2, 5.7
64	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 59/21.04.043/92	17.12.92	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन स्पष्टीकरण	3.2.1, 3.2.2, 4.2.7(i), 4.2.8, 4.2.9(ii), 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.16
65	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 129/21.04.043/92	27.04.92	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, और प्रावधानन और संबंधित मामले	1.1, 1.2, 2.1.1, 2.2, 3.1.1, 3.1.3, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
66	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 42/सी.469(डब्ल्यू) -90	31.10.90	अनर्जक ऋणों का वर्गीकरण	3.1.1
67	बैंपविवि. सं. एफओएल. बीसी. 136/सी.249-85	07.11.85	ऋण निगरानी प्रणाली बैंकों में उधारकर्ता खातों की स्थिति के लिए कूट प्रणाली	1.3
68	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 35/21. 01.002/99	24.04.99	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय	4.2.11, 4.2.15

69	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 18/24. 01.001/ 93-94	19.02.94	उपस्कर पट्टेदारी पर देना, किराया खरीद, फैक्टरिंग आदि गतिविधियाँ	2.1, 3.2.3